[2021] 13 S.C.R.136

एम/एस। इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(2016 की सिविल अपील Nos.9845-9846)

सितंबर 06,2021

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

बिजली: बिजली उत्पादन के लिए पनबिजली योजनाएं पानी के उपयोग के लिए रॉयल्टी-की मांग-तथ्यों पर, सरकारी नीति के संदर्भ में, अपीलकर्ता-बंदी बिजली उत्पादक

अपनी औद्योगिक इकाई के लिए कैप्टिव जनरेशन स्टेशन के रूप में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना-अपीलार्थी और राज्य विद्युत बोर्ड के बीच समझौता जिसमें खंड 14 में प्रावधान किया गया है कि पानी की नियंत्रित आपूर्ति के लिए रॉयल्टी ली जाएगी-अपीलार्थी भुगतान करेंगे बिजली की खपत के लिए व्हीलिंग शुल्क, साथ ही समझौते में निर्दिष्ट दर पर पानी की नियंत्रित आपूर्ति के उपयोग के लिए शुल्क-अपीलकर्ता ने तब अपनी पनबिजली परियोजना में उसके द्वारा उत्पन्न बिजली के संबंध में पानी या रॉयल्टी के नियंत्रित रिलीज के लिए शुल्क के भुगतान से छूट मांगी-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करना-अपील पर कहा गया: निजी संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभ के लिए उचित शुल्क-चूंकि निजी संस्था या एजेंसी को इससे और उससे बाहर लाभ होगा।

राज्य द्वारा लगाए गए पूंजी परिव्यय और अवसंरचना, इस तरह के लाभ के लिए कुछ उचित शुल्क स्वाभाविक रूप से लगाए जाएंगे यह केवल ऐसी नीति के तहत था कि दोनों अपीलार्थियों को अपनी बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी गई थी और इस शब्द को उनके द्वारा जानबूझकर स्वीकार किया गया था-इस प्रकार, समझौते में संबंधित खंड के साथ-साथ नीति की शर्तों को भी नहीं कहा जा सकता है।

असहनीय, मनमाना या अनुचित-इसके अलावा, रॉयल्टी पक्षों के बीच समझौते के संदर्भ में होगी और आम तौर पर लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा संबंध होता है।

अनुदानकर्ता को कर के विरुद्ध प्रदान किया जाता है जो कर के दाता को प्रदान किए गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है-नाम जो भी हो, शुल्क

पक्षकारों के बीच व्यवस्था के आधार पर सी. पी. पी. द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार के लिए नियंत्रित पानी छोड़ने का उपयोग किया जाता था।

136 एम/एस। इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

बोर्ड को बोर्ड के कक्कड़ पावर हाउस की ओर मोड़ दिया गया है। जिसे मूझियार पावर हाउस के "टेल रेस" लाभ के रूप में पानी की निरंतर आपूर्ति मिलती है। कक्कड़ पावर हाउस में बिजली उत्पादन के बाद, पानी को फिर से नदी में बहने दिया जाता है। कक्कड़ पावर हाउस की क्षमता 50 मेगावाट है जबकि सीयूएमआई की क्षमता 12 मेगावाट है। पानी की आपूर्ति भले ही ऊंचाई पर स्थित और बड़ी क्षमता वाले बिजली घर के लिए हो, इस प्रकार निश्चित रूप से कम ऊंचाई पर स्थित सी. यू. एम. आई. की परियोजना को पानी की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इसी तरह, एक बड़े जलाशय, अनयिरंकाल बांध से पानी को बहने दिया जाता है ताकि 32 मेगावाट बिजली की क्षमता वाले पनियार पावर हाउस तक पहुंचा जा सके। पनियार पावर हाउस तक पहुँचने से पहले, पानी उस क्षेत्र से गुजरता है जहाँ इंडसिल की परियोजना स्थित है, जिसकी क्षमता 21 मेगावाट है। इस प्रकार आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजना के स्थान को निरंतरता और निरंतरता का प्राकृतिक लाभ होगा।

पानी की नियंत्रित आपूर्ति। [पैरा 31,32] [170-डी-जी]

1.2 अभिलेख पर तथ्य इस प्रकार दर्शाते हैं कि दोनों परियोजनाएं

नीति के खंड 14 में विचार के अनुसार निश्चित रूप से पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ उठाया है। प्रत्येक परियोजना को पानी की नियंत्रित आपूर्ति का कितना लाभ मिला है या भविष्य में मिलेगा, यह गणना और गणना का विषय होगा। [पैरा 33] [170-जी-एच]

1.3 सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा किए गए समझौतों से पता चलता है कि नीति के नियम और शर्तें, जिसमें इसके खंड 14 भी शामिल हैं, समझौतों में जानबूझकर शामिल किए गए थे। सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों इस तथ्य के लिए जीवित थे कि विशिष्ट स्थान के कारण, उनकी इकाइयों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

पानी की नियंत्रित आपूर्ति। इस प्रकार, इंडसिल समझौते में सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 के समान एक विशिष्ट खंड की अनुपस्थिति,

कोई परिणाम नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच संबंध नीति के खंड 14 द्वारा नियंत्रित होंगे, जैसा कि संबंधित समझौतों में शामिल किया गया है। [पैरा 34] [171-ए-बी] [2021] 13 एस. सी. आर.

1.4 ऐसे मामलों में जहां पक्षों के बीच किए गए अनुबंध या समझौते की अवधि पूरी तरह से एकतरफा, अनुचित और

अनुचित, जहाँ दूसरे पक्ष के पास कम सौदेबाजी की शक्ति हो

परिस्थितियों के बल पर ऐसी अवधि को स्वीकार करना पड़ा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में राहत

परिवहन निगम के मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि समझौते लंबे विचार-विमर्श के बाद किए गए थे जहां सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों को कानूनी सलाहकार का लाभ मिला था। यह नहीं कहा जा सकता है कि सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. कम सौदेबाजी की शक्ति के साथ स्थिति में थे या इतने कमजोर थे कि

परिस्थितियों में उन्हें इस तरह की अवधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए, सी. यू. एम. आई. समझौते में संबंधित खंड 14 के साथ-साथ संबंधित समझौतों में शामिल नीति के खंड 14 की शर्तों को असहनीय नहीं कहा जा सकता है और / या स्पष्ट रूप से मनमाना। [पैरा 40] [173-ई-जी]

1.5 इस नीति में यह स्पष्ट किया गया था कि पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ आम तौर पर पानी तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली उत्पादन इकाइयाँ या बिजली घर। इस तरह के नीति विवरण का कारण स्पष्ट रूप से यह होगा कि

बांधों और जलाशयों के निर्माण और रखरखाव में राज्य द्वारा काफी मात्रा में अवसंरचना और विकास किया गया था और किया जाएगा और इस तरह के निवेश का वृद्धिशील लाभ या लाभ सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों के माध्यम से जनता को वापस जाना चाहिए। हालाँकि, यदि किसी निजी संस्था या एजेंसी को लाभ देने की अनुमति दी गई थी, तो नीति में पानी की ऐसी नियंत्रित आपूर्ति के उपयोग के लिए शुल्क लगाने पर विचार किया गया था। पॉलिसी में इस तरह की अवधि रखने में कुछ भी मनमाना या अनुचित नहीं है। चूंकि निजी संस्था या एजेंसी को राज्य द्वारा लगाए गए पूंजी परिव्यय और बुनियादी ढांचे से लाभ होगा, इसलिए इस तरह के लाभ के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ उचित शुल्क लगाए जाएंगे। यह ऐसी नीति के तहत ही था कि सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों को अपनी बिजली उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति दी गई थी और ऐसा शब्द जानबूझकर था। उन्हें स्वीकार कर लिया। यह निवेदन कि नीति का प्रासंगिक खंड 14 स्पष्ट रूप से मनमाना होगा, इसलिए, स्वीकृति के योग्य नहीं है। [पैरा 42] [175-बी-एफ]

1.6 गुणात्मक रूप से, कैपिव पावर प्रोडचूसर्स (सी. पी. पी.) और इंडिपेंडेंट पावर प्रोडचूसर्स (आई. पी. पी.) में एक बुनियादी अंतर है।

सी. पी. पी. स्व-उपभोग के लिए बिजली का उत्पादन करते हैं। तत्काल मामले में, सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों अपने कारखानों या औद्योगिक इकाइयों में खपत के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं। उनके समझौतों की शर्तों के तहत, यदि उनसे अधिक कुछ भी उत्पादित किया जाता है

आवश्यकता अनुसार अधिशेष या अतिरिक्त बिजली बोर्ड द्वारा स्वीकार की जाएगी। हालांकि, मुख्य उद्देश्य और अंतिम उपयोग स्व-उपभोग होगा। इसके विपरीत, आई. पी. पी. बिजली का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बोर्ड के उपयोग के लिए करते हैं। आई. पी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली ग्रिड का हिस्सा बन जाती है बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली जैसे बोर्ड की उत्पादन इकाइयों या बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली।

यदि सी. पी. पी. और आई. पी. पी. एस. के लिए पानी की नियंत्रित आपूर्ति के लिए शुल्क समान रूप से लगाया जाना था, तो प्रभाव यह होगा कि आम उपभोक्ताओं और आम जनता को आई. पी. पी. के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली बिजली का अनिवार्य रूप से जल शुल्क के आनुपातिक तत्व के प्रति अतिरिक्त बोझ या भार होगा। इन परिस्थितियों में, यदि बोर्ड सभी आई. पी. पी. के मामले में नीति के खंड 14 को लागू नहीं करने का निर्णय लेता है, तो इस तरह के निर्णय को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जाएगा। यह भेद या वर्गीकरण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ को कम करने के उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट तर्क पर आधारित था। चूँकि सी. पी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली की स्वयं खपत होगी, इसलिए आम उपभोक्ताओं पर कोई अंतिम या परिणामी बोझ डालने का कोई सवाल ही नहीं होगा। इस तरह के भेद या वर्गीकरण का आधार काफी सही था और

इस प्रकार सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया था। अप्राकृतिक या तर्कहीन होने के बजाय, वर्गीकरण का आम उपभोक्ताओं पर परिणामी बोझ को कम करने के उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट संबंध या संबंध था। अतः यह निवेदन निरर्थक और अस्वीकृत है। [पैरा 44] [176-सी-एच]

1.7 जैसा कि सही देखा गया है, पानी की नियंत्रित आपूर्ति पर रॉयल्टी या शुल्क लगाने का आधार या उत्पत्ति खंड 14 था।

उस नीति का, जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई थी, संबंधित समझौतों में शामिल किया गया था। अपीलकर्ताओं ने कहा कि पानी की नियंत्रित आपूर्ति के लिए रॉयल्टी या शुल्क अनिवार्य कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं होगा और इस तरह के अधिरोपण के पीछे किसी भी वैधानिक मंजूरी के अभाव में, बोर्ड की ओर से कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना होगी और

राज्य और बोर्ड का मामला यह था कि ऐसी रॉयल्टी या शुल्क [2021] 13 एस. सी. आर.

संबंधित अनुबंधों में उत्पत्ति थी और इस तरह बोर्ड की ओर से कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी। [पैरा 45,46] [177-बी-डी]

1.8 'रॉयल्टी' अभिव्यक्ति को लगातार अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए भुगतान किए गए मुआवजे के रूप में माना जाता रहा है। अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा आनंद लिया जाता है और आम तौर पर इसकी उत्पत्ति में होती है

अनुदानकर्ता और अनुदान प्राप्तकर्ता के बीच समझौता। जहां तक कर का संबंध है जो कर के दाता को प्रदान किए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है, रॉयल्टी पक्षों के बीच समझौते के संदर्भ में होगी और आम तौर पर अनुदान प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा संबंध होगा। जो भी हो।

नामकरण, तत्काल मामलों में पानी के नियंत्रित निर्वहन के उपयोग के लिए शुल्क आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार के लिए थे। आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. को उपलब्ध कराए गए पानी के नियंत्रित प्रवाह ने हमेशा उनकी मदद करने में एक लंबा सफर तय किया है।

बिजली उत्पादन में। उन्हें दिए गए ऐसे लाभ या विशेषाधिकार के लिए, पक्षों के बीच हुए समझौतों में इस तरह के लाभ प्रदान करने के लिए शुल्क का भुगतान करने पर विचार किया गया था। इस तरह के आरोप पूरी तरह से उचित थे। [पैरा 54] [188-ई-एच; 189-ए]

1.9 यह निवेदन कि यह अनिवार्य निष्कासन था और इस प्रकार एक कर की विशेषताओं को पूरी तरह से गलत और असमर्थनीय माना गया था। यह पक्षों के बीच एक शुद्ध और सरल संविदात्मक संबंध था और सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को अस्वीकार करने में खंड पीठ सही थी। [पैरा 55,56] [189-बी-सी]

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो

नाथ गांगुली (1986) 3 एससीसी 156: [1986] 2 एससीआर 278; आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और ए. एन. आर. (2019) 4 एससीसी 401: [2019] 2 एससीआर 984; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. गोविंदन राघवन (2019) 5 एससीसी 725: [2019] 5 एससीआर 1169; महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. साल्वेशन आर्मी, वेस्टर्न इंडिया टेरिटरी (1975) 1 एससीसी 509: [1975] 3 एससीआर 475; एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 357: [2009] 2 एससीआर 1080; ए. एल. कालरा बनाम भारतीय परियोजना और उपकरण निगम एम/एस।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड स्टेट ऑफ केराला एंड अदर

(1984) 3 एससीसी 316: [1984] 3 एससीआर 646; राजस्थान राज्य

औद्योगिक विकास और निवेश निगम

निगम लिमिटेड और एक अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 470: [2013] 4 एस. सी. आर. 331; हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और

अन्य वी। उड़ीसा राज्य और अन्य [1961] 2 एस. सी. आर. 537 47 ; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

और ओआरएस। (2004) 10 एससीसी 201: [2004] 1 एससीआर 564; भारत सीमेंट लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12

: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 692; हिमाचल प्रदेश और

अन्य वी। गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एक अन्य

स्टेनलेस लिमिटेड और एक अन्य वी। हरियाणा राज्य और अन्य (2017) 12 एससीसी 1: [2016] 10 एससीआर 1; खनिज

क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य v. स्टील

भारतीय प्राधिकरण और अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 450: [2011]

4 एस. सी. आर. 19; इंदरजीत सिंह सियाल और एक अन्य वी. करम

चांद थापर और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 166: [1995]

4 पूरक। एस. सी. आर. 53; भारत संघ और अन्य बनाम। गति पिक्चर एसोसिएशन और अन्य (1999) 6 एस. सी. सी. 150:

[1999] 3 एस. सी. आर. 875-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1986] 2 एससीआर 278

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 984

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2019] 5 एससीआर 1169

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 475

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[2009] 2 एससीआर 1080

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[1984] 3 एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2013] 4 एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1961] 2 एससीआर 537

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2004] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1989] 1 पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[2005] 1 पूरक। एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

[2016] 10 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2011] 4 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1995] 4 पूरक। एससीआर 53

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1999] 3 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 9845

9846 2016 से।

उच्च न्यायालय के 03.04.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के डब्ल्यू. ए. सं. 1345 और 2014 के डब्ल्यू. ए. <आई. डी. 1 में एर्नाकुलम में केरल सरकार द्वारा।

सिविल अपील सं। 9847-9850 2016 का
सी. ए. सुंदरम, वी. गिरि, जोसेफ कोडियंतारा, सीनियर एडवो. , आनंद

सुकुमार, भुपेश के. पाठक, एस. सुकुमारन, सुश्री रोहिणी मूसा, अर्जुन सिंह, जफर इनायक, सुश्री मीरा माथुर, अमित कृष्णन,

आर. गोपालकृष्णन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. वी. सुरेंद्रनाथ, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. के. सासी, सुश्री लेखा

सुधाकरन, सुश्री नयनतारा रॉय, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. सिविल अपील सं। 9845-9846 2016 का मेसर्स इंडसिल द्वारा पसंद किया गया

2016 की हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड (इसके बाद "आई. एन. डी. एस. आई. एल". के रूप में संदर्भित) और सिविल अपील Nos.9847-9850

कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (इसके बाद "सीयूएमआई" के रूप में संदर्भित) को उच्च न्यायालय 1 की खंड पीठ द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 03.04.2014 के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसमें रिट अपील संख्या की अनुमति दी जाती है। 1345 और 2013 का 1355 केरल राज्य द्वारा क्रमशः आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. के खिलाफ पसंद किया गया।

2. 07.12.1990 पर, सरकार 2 ने एक नीति तैयार की

जी. ओ (एमएस) No.23/90/पीडी (नीति, संक्षेप में) निजी एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी लागत पर बिजली उत्पादन के लिए पनबिजली योजनाएं स्थापित करने की अनुमति देती है। नीति के अनुसार, संबंधित मामले पनबिजली योजना का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाना था

1 एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय।

2 केरल सरकार एम/एस।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

सरकार/बोर्ड द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार प्रबंधित 3. खंड

2 , 14 और नीति के 15 इस प्रकार थेः -

" 2. निजी एजेंसियों/सार्वजनिक उपक्रमों को लघु/लघु/सूक्ष्म श्रेणी की स्वीकृत पनबिजली योजनाओं की स्थापना की अनुमति उनकी अपनी लागत पर दी जाएगी, सरकार/बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उनके द्वारा निर्माण, संचालन और रखरखाव का प्रबंधन किया जा रहा है। (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अनुसार निर्धारित शर्तें। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, केंद्र और राज्य सरकारों से अन्य संबंधित नियम और आदेश)।

14. सरकार/बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिजली उत्पादन पर कर और शुल्क के साथ पानी के उपयोग के लिए रॉयल्टी

समय-समय पर एजेंसी को भुगतान करना पड़ता है। आम तौर पर मौजूदा जलाशयों के भंडारण लाभों और मौजूदा बिजली स्टेशनों के अनुरूप लाभ का उपयोग करते हुए लघु/लघु/सूक्ष्म श्रेणी की योजनाओं से बिजली का उत्पादन निजी एजेंसियों को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन, सरकार विशेष परिस्थितियों में ऐसी योजनाओं को निजी पक्षों द्वारा स्थापित करने की अनुमति दे सकती है। ऐसे मामलों में, नियंत्रित रिलीज प्राप्त करके एजेंसी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त लाभ के लिए, एजेंसी को सरकार या बोर्ड को, जैसा भी मामला हो, उत्पादित ऊर्जा के लिए एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए नियंत्रित रिलीज के लिए लागत घटक के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

योजना से। यह पानी की रॉयल्टी, यदि कोई हो, के भुगतान के अतिरिक्त होगा। प्रत्येक योजना के संबंध में अलग से शुल्क भंडारण/नियंत्रित छूट पर काम किया जाना है।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखें। 15. उपयोग किए गए पानी की मात्रा के आकलन के लिए, सूत्र बी. एच.-के. डब्ल्यू. में बिजली का अनुप्रयोग जहां क्यू एन. आई./एस. ई. सी. में है और एच. मीटर में शुद्ध शीर्ष है जिसके लिए मशीनों को के. डब्ल्यू. द्वारा डिजाइन किया गया है।

निर्माताओं का उपयोग किया जाएगा।

3. केरल राज्य में सी. यू. एम. आई. के तीन कारखाने हैं और यह विद्युत चाप भट्टियों का उपयोग करके विद्युत खनिजों के निर्माण के व्यवसाय में है, जिसके लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सी. यू. एम. आई. ने कक्कड़ नदी बेसिन में "मनियार पनबिजली योजना" के आवंटन के लिए राज्य के साथ एक याचिका दायर की। योजना आवंटित होने के बाद दिनांकित आदेश के अनुसार

8.01.1991 , सी. यू. एम. आई. ने मनियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना का बीड़ा उठाया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन के रूप में कक्कड़ नदी पर 12 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना। सी. यू. एम. आई. और बोर्ड के बीच 18.05.1991 (संक्षेप में सी. यू. एम. आई. समझौता) पर एक समझौता किया गया था, जिसमें विशेष रूप से नीति का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि नीति के नियम और शर्तें "इस समझौते का हिस्सा बनेंगी जैसे कि इसमें शामिल हैं।"

सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 8 और 14 निम्नानुसार थेः

" 8. मनियार पनबिजली परियोजना से मिलने वाली ऊर्जा को (आईडी1) ग्रिड में ऊपर बताए गए स्थान पर मापा जाएगा (आईडी1 द्वारा विधिवत कैलिब्रेट किए गए मीटर का उपयोग करके) और व्हीलिंग शुल्क और टी एंड डी लेस के लिए बारह प्रतिशत से कम ऊर्जा की यह मात्रा सीयूएमआई को उनके ई. बी. टी. पर मुफ्त में वितरित की जाएगी। एल. टी. लाइनों में आपूर्ति या रसीद के मामले में पट्टेदार के लिए भत्ता

और व्हीलिंग शुल्क अधिक होगा और इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा केएसईबी।

यदि एक लेखा वर्ष के दौरान परियोजनाओं से सी. यू. एम. आई. की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा को पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर के. एस. ई. बी. ग्रिड में ही डाला जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सी. यू. एम. आई. किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा या किसी भी उत्पादित ऊर्जा की बिक्री या हस्तांतरण का हकदार नहीं होगा।

परियोजना से के. एस. ई. बी. के अलावा किसी अन्य पक्ष को। ग्रिड में दी जाने वाली और केईएसबी द्वारा सीयूएमआई को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा का लेखा-जोखा या केरल में पलक्कड़, कोराट्टी में उनके कारखानों का संचालन और कलामाउरी का निपटान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

जुलाई से 30 जून तक गणना की जाती है।

.....

.....

14. सरकार/केईएसबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिजली उत्पादन पर कर और शुल्क के साथ पानी के उपयोग के लिए रॉयल्टी सी . यू. एम. आई. द्वारा K.S.E.B पर भुगतान करना होगा।

मनियार पनबिजली परियोजनाएँ पी. डब्ल्यू. डी. के मनियार सिंचाई बांध के मौजूदा प्रमुख कार्यों के लाभ का उपयोग करेंगी, जो मुख्य रूप से के. एस. ई. बी. के मौजूदा मूझियार पावर हाउस से नियंत्रित पानी छोड़ने से पोषित होता है। इस तरह के नियंत्रित जारी होने के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के लिए, सी. यू. एम. आई. को योजना से उत्पन्न ऊर्जा के लिए के. एस. ई. बी. को लागत घटकों का भुगतान करना होगा। यह पानी पर दी जाने वाली रॉयल्टी के अतिरिक्त होगी। एम/एस के ऊपर के रूप में नियंत्रित रिलीज के लिए शुल्क।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

पानी पर रॉयल्टी के साथ-साथ, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा के आधार पर गणना की जाएगी और ई. एच. टी. उपभोक्ता के लिए समय-समय पर ऊर्जा की प्रत्येक इकाई के लिए वर्तमान ऊर्जा शुल्क दर का दस प्रतिशत होगा। उत्पन्न किया जाएगा और K.S.E.B "को भुगतान किया जाएगा।

4. 1994 तक यह परियोजना सी. यू. एम. आई. द्वारा Rs.22 करोड़ की लागत से शुरू की गई थी और तब से सी. यू. एम. आई. बिजली का उत्पादन कर रहा है।

सी. यू. एम. आई. समझौते के संदर्भ में स्व-उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। 5. आई. एन. डी. एस. आई. एल. का राज्य में लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए एक कारखाना है और वह बोर्ड से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का लाभ उठा रहा था।

6. आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने एक छोटी पनबिजली योजना स्थापित करने में रुचि व्यक्त की, जिसके लिए उचित बातचीत और बैठकें आयोजित की गईं। 08.04.1994 पर बोर्ड के साथ आयोजित एक बैठक में, निर्णयों में से एक था:

" i) पानी पर रॉयल्टी वसूल की जाएगी-यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग। विशेष रूप से जहां एक ही बेसिन में पानी रखा जा रहा है और कोई उपभोग्य उपयोग नहीं है, वहां उपकर या रॉयल्टी नहीं लेने का अनुरोध किया जाएगा।

7. इसके बाद आई. एन. डी. एस. आई. एल. और बोर्ड के बीच एक समझौता (संक्षेप में आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौता) किया गया।

राज्य के इडुक्की जिले में "कुथंगल चरण I और II परियोजना"

21 बिजली उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता मेगावाट। इंडसिल समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों को अन्य बातों के साथ संदर्भित किया गया है

नीति और कहा कि उक्त नियम और शर्तें "इस समझौते का हिस्सा बनेंगी जैसे कि इसमें शामिल हैं।" आई. एन. डी. एस. आई. एल. के खंड 10 और 19

समझौता निम्नलिखित प्रभाव के लिए था: -

" 10. कुथुंगल चरण I और चरण से ऊर्जा के. एस. ई. बी. ग्रिड में दी जाने वाली दूसरी परियोजना को ऊपर बताए गए स्थान पर मीटर किया जाएगा (के. एस. ई. बी. द्वारा विधिवत कैलिब्रेट किए गए मीटर का उपयोग करके) और व्हीलिंग शुल्क और टी एंड डी नुकसान के लिए 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) से कम ऊर्जा की यह मात्रा मुफ्त में वितरित की जाएगी।

कंपनी और उनके सहयोगी एम/एस। सन मेटल्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, कांजीकोड, पालाघाट ई. एच. टी. टर्मिनलों पर उनके प्रतिष्ठानों में आपूर्ति के बिंदु पर, यदि कोई हो, या यदि कंपनी चाहे तो इसे के. एस. ई. बी. द्वारा बैंक किया जाएगा। के. एस. ई. बी. अपने कमीशन के रूप में इस तरह से जमा की गई ऊर्जा का 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) एकत्र करेगा। यह व्हीलिंग और संचरण और वितरण शुल्क के नुकसान के अलावा होगा।

.....

19. पानी के उपयोग के लिए उपकर/रॉयल्टी, यदि सरकार द्वारा तय किया जाता है तो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर/शुल्कों के साथ

कंपनी द्वारा सरकार को समय का भुगतान किया जाएगा। ”

8. जून, 2001 तक Rs.50 करोड़ की लागत से इस परियोजना की स्थापना के बाद से, आई. एन. डी. एस. आई. एल. बिजली का उत्पादन कर रहा है जो अनिवार्य रूप से

आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते के खंड 10 में बताए अनुसार इसका और इसके सहयोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

9. इस प्रकार कैप्टिव बिजली खपत और ऐसे बिजली उत्पादकों के लिए सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा संबंधित परियोजनाओं की स्थापना की गई थी। स्वयं की खपत को

कैप्टिव पावर प्रोडचूसर्स (सी. पी. पी.) कहा जाता है, जबकि स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई. पी. पी.) अपनी खपत के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से बोर्ड को आपूर्ति करने के लिए बिजली पैदा करते हैं।

10. 11.10.2002 पर, सरकार द्वारा नीति और अधिकार प्राप्त लोगों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे

जी. ओ. दिनांक 5.9.2002 के माध्यम से गठित समिति। इन दिशानिर्देशों में सी. पी. पी. को ऊर्जा प्रदान करने में संचरण और वितरण नुकसान से निपटा गया है, लेकिन पानी के उपयोग के लिए रॉयल्टी के साथ सौदा नहीं किया। इन दिशानिर्देशों का प्रासंगिक हिस्सा था: -

" जी. ओ. के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति, जिसे ऊपर दिए गए तीसरे पत्र के रूप में पढ़ा जाता है, के सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए

के. एस. ई. बी. और छोटे के निर्माण के लिए विवरण की जांच करना

और लघु पनबिजली परियोजनाओं ने 5.9.02 और 12.09.02 पर आयोजित अपनी बैठक में छोटी पनबिजली परियोजनाओं को लेने की गुंजाइश पर विचार किया और

सरकार को सिफारिश की गई कि डैम टो और टेल रेस परियोजनाओं को छोड़कर छोटी पनबिजली परियोजनाओं को कैप्टिव के लिए खोला जाना चाहिए

जनता सहित उपभोक्ता और स्वतंत्र बिजली उत्पादक इस क्षेत्र के उपक्रमों ने निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बिजली गहन

राज्य के भीतर उद्योगों को आवंटन में वरीयता दी जा सकती है -

छोटी पनबिजली परियोजनाएं।

2. टी एंड डी के नुकसान की भरपाई के लिए के. एस. ई. बी. को भत्ता

कैप्टिव पावर प्रोडचूसर्स (सी. पी. पी.) के उत्पादन केंद्र से खपत बिंदु तक ऊर्जा को पहनना जिसे तय किया गया है।

जी. ओ. के खंड (9) के अनुसार 10 प्रतिशत। (एमएस) No.23/90/पीडी dt.7.12। 90 के. एस. ई. बी. को अनुमति जारी रखी जा सकती है।

3. के. एस. ई. बी. के लिए व्हीलिंग शुल्क जो जी. ओ. के खंड (9) के अनुसार 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। (एमएस No.23/90/पीडी। डीटी। 7.12.90 बढ़ाया जा सकता है

5 प्रतिशत तक। एम/एस।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

11. दिशानिर्देशों को जी. ओ. दिनांक 16.1.2003 के माध्यम से संशोधित किया गया था जो सी. पी. पी. और आई. पी. पी. से संबंधित थे। सी. पी. पी. के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

कहा गया: -

जी. ओ. के अनुसार (एमएस) 23/90/पीडी dt.7.12। 1990 , सरकार ने छोटी पनबिजली परियोजनाओं के आवंटन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। चूंकि सरकार ने अधिक निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है

इस क्षेत्र में, संशोधित निर्धारित करना आवश्यक हो गया है

आवंटन के लिए दिशानिर्देश। मौजूदा जलाशयों से नियंत्रित निर्गमन का उपयोग करने वाली बिजली योजनाएं और टेलरेस के. एस. ई. के लिए आरक्षित हैं

बोर्ड "।

उपयोग के लिए रॉयल्टी के संबंध में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया था

सी. पी. पी. द्वारा पानी लेकिन आई. पी. पी. के साथ काम करते समय, यह निर्धारित किया गया था: -

" ..... 15 . जल उपकर: जल उपकर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रतिबिंबित होगा

शुल्क पर और इसलिए निवेशक के अनुकूल नहीं "।

12. सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों व्हीलिंग शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

बिजली की खपत के लिए। 1994 से अप्रैल 2003 तक सी. यू. एम. आई. ने सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 में निर्दिष्ट दर पर पानी की नियंत्रित आपूर्ति के उपयोग के लिए शुल्क का भी भुगतान किया था। मई 2003 में, सी. यू. एम. आई. ने हालांकि एक अभ्यावेदन दिया कि इसे अन्य परियोजनाओं की तरह इस तरह के शुल्क के भुगतान से छूट दी जाए। बोर्ड की ओर से पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ने के लिए रॉयल्टी/लागत घटक वसूलने के प्रयास।

नीति के खंड 14 के संदर्भ में सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने तत्काल मामलों में विवादों को जन्म दिया है जो इन अपीलों के विषय हैं। इस तरह के विवादों से संबंधित अभिवचनों को निर्धारित करने से पहले, संबंधित परियोजनाओं के स्थान और किस प्रकार के पानी के प्रवाह का उपयोग किया जाता है, यह आवश्यक है।

ध्यान दें:

सीयूएमआई: मूझियार पावर हाउस से नीचे बहने वाला पानी

मूझियार पावर हाउस के "टेल रेस" लाभ का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए बोर्ड के कक्कड़ पावर हाउस (50 मेगावाट) की ओर मोड़ दिया जाता है। कक्कड़ पावर हाउस में बिजली उत्पादन के बाद, पानी को वापस नदी में बहने दिया जाता है और फिर सिंचाई के लिए और सीयूएमआई की मनियार पनबिजली परियोजना के लिए उपयोग किया जाता है।

आई. एन. एस. आई. एल.: अनयिरंकाल बांध, सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक

केरल राज्य का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था और उसके तुरंत बाद, पनियार

बोर्ड द्वारा 32 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले पावर हाउस का निर्माण किया गया था। कुथंगल अनयिरंकाल बांध ([2021] 13 एस. सी. आर. पर) के बीच स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिक ऊँचाई पर) और बोर्ड का पनियार पावर स्टेशन (निचले स्तर पर)। इस प्रकार उत्पादन के लिए अनयिरंकाल बांध से पानी छोड़ा गया

पनियार पावर स्टेशन पर बिजली उस क्षेत्र से गुजरती है जहाँ

आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजना स्थित है।

13. सी. यू. एम. आई. ने 2003 का ओ. पी. No.6880 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई कि बोर्ड को इसके लिए कोई शुल्क लगाने, मांग करने या एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है।

अपनी मनियार पनबिजली परियोजना में सी. यू. एम. आई. द्वारा उत्पन्न बिजली के संबंध में सी. यू. एम. आई. से पानी या रॉयल्टी का नियंत्रित विमोचन। आवश्यक दलीलें

रिट याचिका से थे:

.....दूसरे उत्तरदाता बोर्ड ने अपना दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड स्थापित किया था।

" 2 .

पम्बा नदी पर सबिरीगिरी की पनबिजली परियोजना। उक्त नदी के पानी का उपयोग दूसरे प्रतिवादी बोर्ड द्वारा किया गया था

मूझियार जनरेटिंग स्टेशन पर बिजली का उत्पादन और बिजली के उत्पादन के बाद मूझियार जनरेटिंग स्टेशन से नीचे बहने वाले पानी का कुछ हिस्सा सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और इसका बाकी हिस्सा अरब सागर में बहाया जाता है। मूझियार में उत्पादन केंद्र से बहने वाले पानी का एक हिस्सा मनियार पनबिजली परियोजना में बिजली पैदा करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी आवश्यकताओं के हिस्से को पूरा करने के लिए कलामस्सेरी और कोरट्टी में याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाइयों के लिए एक कैप्टिव उत्पादन केंद्र के रूप में लिया था। ..... याचिकाकर्ता के पास उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह मजबूर था

उसी पर हस्ताक्षर करने के लिए।

असंवैधानिक रूप से लागू करने की विधि और रॉयल्टी की दर और कथित रूप से नियंत्रित रिहाई के अलावा पानी पूरी तरह से तर्कहीन, मनमाना और अनुचित है। रॉयल्टी केवल उस सुविधा से किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री या लाभ की मात्रा पर आधारित हो सकती है।

मूज़ियार पावर हाउस में टरबाइन की क्षमता के आधार पर एक निश्चित मात्रा होती है और इस तरह के उत्पादन के लिए जो भी पानी की आवश्यकता होती है उसे टरबाइन से नीचे बहना पड़ता है। याचिकाकर्ता के हाइड्रो को इस तरह का पानी बिल्कुल नियंत्रित रूप से नहीं छोड़ा जाता है कक्कड़ नदी में मणियार में विद्युत परियोजना। मूझियार पावर हाउस से नीचे बहने वाला पानी मूझियार पावर इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v के नीचे नदी के किनारों के कैचमैन क्षेत्र से पानी द्वारा पूरक है।

टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

स्टेशन का आंशिक रूप से सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाता था और शेष

पानी पहले नीचे बहता था, यह मूझियार पावर स्टेशन और कैचमैन क्षेत्रों से ऐसे पानी का केवल एक हिस्सा था जिसका उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मनियार पनबिजली परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। हालांकि, वर्ष 1998 से मूझियार पावर हाउस से नीचे बहने वाले पानी को दूसरे उत्तरदाता के कक्कड़ पावर हाउस की ओर मोड़ दिया गया था और बिजली उत्पादन के बाद

कक्कड़ पावर हाउस से नीचे बहने वाला पानी निचले स्तर पर उसी नदी में वापस बहता है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए और आंशिक रूप से याचिकाकर्ता की मनियार परियोजना के लिए किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूझियार पावर हाउस से छोड़े गए पानी को कक्कड़ पावर हाउस की ओर मोड़ दिया जाता है और वहां बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मूझियार पावर हाउस से मणियार में याचिकाकर्ता की पनबिजली परियोजना के लिए कथित रूप से नियंत्रित पानी छोड़ना अब नहीं है और दूसरे प्रतिवादी द्वारा कक्कड़ पावर स्टेशन के चालू होने के बाद याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं

है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरा प्रतिवादी किसी भी तरह से आरोप नहीं लगा सकता है या

विद्युत आपूर्ति अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दूसरे प्रतिवादी को पंबा नदी या उसकी सहायक नदियों में पानी के प्रवाह के लिए समान शक्तियां, शुल्क और कार्य करने वाली उत्पादन कंपनी पर रॉयल्टी या कोई शुल्क लगाने की कोई शक्ति प्रदान करता है। 6. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता जैसी कई अन्य उत्पादन कंपनियों को छोटी पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति और अधिकार दिए हैं। इस प्रकार आई. एन. डी. एस. आई. एल. लिमिटेड, सिल्कल मेटलर्जिक लिमिटेड, टी. ई. सी. आई. एल. हाइड्रो पावर लिमिटेड जैसी निजी औद्योगिक उत्पादन कंपनियों ने निजी पनबिजली स्टेशन स्थापित किए थे, जिनमें उत्तरदाताओं ने उन्हें संबंधित नदियों के ऊपर की ओर पनबिजली परियोजनाओं से छोड़े गए पानी के किसी भी रॉयल्टी या कथित लागत घटक के अधीन नहीं किया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को अलग कर दिया है और याचिकाकर्ता पर भेदभावपूर्ण आरोप लगाए हैं। "[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. बोर्ड की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में सी. यू. एम. आई. द्वारा रिट याचिका में किए गए दावों को खारिज कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था:

" 2 ... . Ext.P1 सरकारी आदेश दिनांक 07.12.1990 में, खंड 21 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

योजना, में सभी पहलुओं को निर्धारित करने वाला एक समझौता

सरकारी आदेश और ऐसी शर्तें जो आवश्यक पाई जाएंगी

एक ओर एजेंसी और दूसरी ओर के. एस. ई. बोर्ड/सरकार के बीच प्रवेश किया जाए। इसलिए याचिकाकर्ता का आरोप है कि दूसरे प्रतिवादी के पास कानून का कोई अधिकार नहीं है या किसी भी शर्त या समझौते को निर्धारित करने या लागू करने की क्षमता सही नहीं है। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं किया है और इसलिए इस संबंध में आरोप सही नहीं हैं और इसलिए इनकार किया गया है। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया है

सरकारी आदेश दिनांक 07.12.1990 और सरकार ने उपरोक्त सरकारी आदेश में शर्त के अनुसार सख्ती से अनुमति दी है। समझौते को लागू करने और संयंत्र स्थापित करने के बाद याचिकाकर्ता अब वापस नहीं जा सकता है और कहते हैं कि उस पर शर्तें थोपी गई थीं।

बांध में संग्रहीत पानी को समय-समय पर छोड़ा जाता है और बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी को पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ा जाता है। इसलिए याचिकाकर्ता को बिना किसी पूंजी निवेश के अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। पानी के भंडारण के लिए। ..... यह आगे कहा गया है कि आम तौर पर

मौजूदा जलाशय के भंडारण लाभ का उपयोग करते हुए लघु/लघु/सूक्ष्म श्रेणी की योजनाओं से बिजली उत्पादन और मौजूदा बिजली स्टेशनों के टेलरेस लाभ को नहीं सौंपा जाएगा।

निजी एजेंसियों के साथ। लेकिन सरकार विशेष के तहत

परिस्थितियों ने ऐसी योजनाओं को निजी द्वारा स्थापित करने की अनुमति दी

जारी किए जाने पर, एजेंसी को सरकार या बोर्ड को, जैसा भी मामला हो, योजना से उत्पन्न ऊर्जा के लिए लागत घटक के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यह होगा पानी की रॉयल्टी, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक योजना के संबंध में उपरोक्त शुल्क भंडारण/नियंत्रित छूट पर काम किया जाना है।

उपरोक्त कारकों को अलग से ध्यान में रखते हुए।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1998 से, पानी नीचे बह रहा है

कक्कड़ पावर हाउस से नियंत्रित पानी छोड़ने के साथ चलता है जिसे मनियार की स्थापना के बाद चालू किया गया था। जल विद्युत परियोजना। उनकी परियोजना में उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी पूर्ण नियंत्रित रिलीज से है यदि यह मूझियार से था।

पावर हाउस या बाद में कक्कड़ पावर हाउस का निर्माण होता है और इसलिए आरोप है कि इससे लागत चक्रवृद्धि का प्रभार और संग्रह होता है।

1998 के बाद याचिकाकर्ता पूरी तरह से कानून के अधिकार के बिना है, मनमाना,

अवैध और अनुचित आधारहीन और असमर्थनीय है।

15. वनाच्छादित जवाबी हलफनामे के जवाब में सी. यू. एम. आई. ने कहा:

6. ..... . कक्कड़ पावर हाउस में उपयोग किए जाने वाले पानी की जो भी गुणवत्ता हो, वह केवल नीचे बह सकती है और दूसरे उत्तरदाता द्वारा इसे नीचे बहने से नहीं रोका जा सकता है। बिजली घर से नदी तक बहने वाले पानी को नियंत्रित करने का कोई सवाल ही नहीं है। उस कक्कड़ पावर स्टेशन से बहने वाले पानी के अलावा नदी के किनारों से बड़ी मात्रा में पानी नदी में बहता है।

भारी बारिश के दौरान नदी में बाढ़ आ जाती है और याचिकाकर्ता के मनियार उत्पादन केंद्र में पानी के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो लगभग 6 किलोमीटर है। कक्कड़ उत्पादन केंद्र से नीचे की ओर "।

16. आई. डी. 1 पर सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते के खंड 19 में, आई. एन. डी. एस. आई. एल. तेल और नियंत्रित पानी छोड़ने की लागत के लिए उत्तरदायी होगा। आदेश में कहा गया है:

" कुथंगल एच. ई. पी. (21 मेगावाट) एक सी. पी. पी. है जिसे मेसर्स इंडसिल। इस परियोजना में अनयिरंकाल बांध और कुथंगल बांध के बीच मुक्त जलग्रहण क्षेत्र से उपलब्ध पानी का उपयोग किया जाता है।

साथ ही अनयिरंकल बांध से नियंत्रित पानी छोड़ा जाता है।

मनियार एच. ई. पी. (12 मेगावाट) पहला सी. पी. पी. जिसका स्वामित्व उनके पास था।

एम/एस। कार्बोरंडम यूनिवर्सल के. एस. ई. बी. की सबरीगिरी और कक्कड़ पनबिजली परियोजना से नियंत्रित निर्गमन का उपयोग करता है।

इस परियोजना के लिए ई. एच. टी. उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क दर के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जा रहा है और इसका भुगतान के. एस. ई. बी. को किया जाता है।

सरकार विस्तृत जाँच के बाद एतद्द्वारा आदेश देती है कि कुथंगल एचईपी को पानी के नियंत्रित छोड़े जाने की रॉयल्टी और लागत

उत्पादित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर गणना की जाएगी और ई. एच. टी. उपभोक्ताओं के लिए समय-समय पर उत्पादित ऊर्जा की प्रत्येक इकाई के लिए वर्तमान ऊर्जा शुल्क दर का 10 प्रतिशत होगा और इसके अलावा, कंपनी केरल विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उत्पन्न बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए बिजली शुल्क के रूप में 1.2 पैसे प्रति इकाई का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक कंपनी से रॉयल्टी एकत्र करेगा और इसे राज्य के राजस्व में भेजेगा।

पानी, जिसे 23.01.2008 दिनांकित आदेश के माध्यम से संप्रेषित किया गया था। सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने रिट दाखिल करके चुनौती दी थी उच्च न्यायालय में 2008 की याचिका (सी) No.4596।

18. नियंत्रित जल के उपयोग के संबंध में आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने प्रस्तुत किया:

" 11. कुथंगल ऊपरी छोर पर अनायरियांकल और निचले छोर पर पोनमुडी के बीच स्थित है। वेल्लाथूवल में पनियार बिजली केंद्र की क्षमता 30 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। उक्त शक्ति

पनियार नदी के पार बहने वाले पानी पर स्टेशन फ़ंसिटन। के. एस. ई. बी. द्वारा अपने पनियार पावर स्टेशन के लिए दो भंडारण का रखरखाव किया जाता है। एक पोनमुडी में है और दूसरा अनयिरंकाल में है जो समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, अनयिरंकाल में एक जलाशय है जहाँ पानी का भंडारण किया जाता है। के. एस. ई. बी. द्वारा जनवरी और अप्रैल के बीच गर्मी के चरम महीनों के दौरान पनियार पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए अनयिरंकाल जलाशय में संग्रहीत पानी छोड़ा जाता है। यह सामान्य रूप से जनवरी से अप्रैल तक उपरोक्त तीन/चार महीनों में से लगभग 45 दिनों की अवधि के लिए किया जाता है। के. एस. ई. बी. द्वारा अनयिरंकाल से पानी छोड़ना वेल्लाथूवल में पनियार पावर स्टेशन की आवश्यकता पर निर्भर करता है; इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v.

टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

पानी छोड़ने की शुरुआत के. एस. ई. बी. द्वारा तय की जाती है; पानी की मात्रा के. एस. ई. बी. द्वारा नियंत्रित की जाती है और इसके द्वारा निर्धारित की जाती है

पनियार पावर स्टेशन में अनुरोध। रिलीज की समाप्ति भी है

के. एस. ई. बी. ने पनियार पावर स्टेशन की आवश्यकता को पूरा करने का निर्णय लिया। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, कुथुंगाल पनबिजली परियोजना कुथुंगाल में स्थित है जो अनयिरंकाल से निचले स्तर पर है लेकिन पनियार बिजलीघर से ऊँचा है। जब अनयिरंकाल जलाशय से पानी छोड़ा जाता है

पनियाल पनबिजली स्टेशन पर बिजली उत्पादन को सक्षम बनाना

पनियार पनबिजली स्टेशन में बिजली उत्पादन और इस तरह के पानी की निकासी केवल आवश्यकता के अनुरूप नहीं की जाती है

याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता को इस तरह से कोई लाभ पहुँचाना।

सी. यू. एम. आई. की परियोजना के बीच अंतर करने की कोशिश करना और

आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने कहा:

" ..... प्रदर्शनी-पी2 समझौते के तहत एजेंसी इस पर निर्भर है

सबरीगिरी और कक्कड़ हाइड्रो से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जाना

विद्युत परियोजना। इस तरह के नियंत्रित रिलीज, रिलीज की मात्रा और उसी की समाप्ति सभी को आवश्यकता के अनुकूल बनाया गया है

विचाराधीन परियोजना। पानी छोड़ने का उपयोग मेसर्स द्वारा किया गया था

उत्पादन के उद्देश्य से कार्बोराडम यूनिवर्सल लिमिटेड

मनियार पनबिजली परियोजना में बिजली। पानी छोड़ा जाता है।

सबरीगिरी और कक्कड़ विद्युत परियोजना नियंत्रित निर्गमन हैं। यह

आनयरंकिल से पानी छोड़ने का तरीका उल्लिखित है। ऊपर "।

19. एस. आई. एल. द्वारा याचिका पर सरकार की ओर से दिया गया जवाब था:

" 9. ... .

वास्तव में, इस योजना में नियंत्रित उपकरणों के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

114 वर्ग कि. मी. से पानी के अलावा अनयिरंकाल जलाशय से पानी छोड़ा जाता है। किमी. , विस्तृत [2021] 13 एस. सी. आर. के अनुसार बांध के नीचे की ओर मुक्त जलग्रहण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. एस. ई. बी. द्वारा अगस्त, 1991 में तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट। याचिकाकर्ता ने

उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपना मूल्यांकन भी किया था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इस योजना में 114 वर्ग किलोमीटर से पानी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। किमी. 65 वर्ग कि. मी. के जलग्रहण क्षेत्र से बहने वाले मौजूदा अनयिरंकाल जलाशय के नीचे की ओर मुक्त जलग्रहण क्षेत्र। बिजली उत्पादन के लिए किमी के अनुसार

ऊपर वर्णित विस्तृत रिपोर्ट। रिट याचिका के पैराग्राफ 10 और 11 में दिए गए कथन और आरोप पूरी तरह से सही नहीं हैं और इसलिए उनका खंडन किया जाता है। उक्त पैराग्राफ में दी गई याचिकाकर्ता की परियोजना का विवरण, जिसे "नदी के बहाव" योजना के रूप में तैयार किया गया है, इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि वह जनवरी से अप्रैल के महीनों के लिए अनयिरंकाल जलाशय से छोड़े गए पानी का उपयोग कर रहा है। यह सच है कि अनयिरंकाल जलाशय से पानी छोड़ने का निर्णय मुख्य रूप से पन्नियार पावर स्टेशन पर उत्पादन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। हालांकि, इस पानी को छोड़े जाने

पर कुथुन्नाल में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। बिजली उत्पादन के बाद पूरा पानी पोनमुडी जलाशय में बहता है।

पानी की मात्रा में किसी भी कमी के बिना जो हर पनबिजली परियोजना में होता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि

याचिकाकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप अनयिरंकाल जलाशय से पानी नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन पन्नियार पावर स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ना सही है। वास्तव में याचिकाकर्ता कंपनी को सत्ता का पूरा लाभ मिल रहा है

12. .... भले ही पन्नियार में बिजली उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप अनयिरंकाल जलाशय से नियंत्रित पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इसका उपयोग कुथंगल पनबिजली परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि कुथंगल परियोजना से बिजली उत्पादन तुलनात्मक रूप से अधिक था जब अनयिरंकाल जलाशय से पानी छोड़ा जाता है, जो अन्यथा नगण्य होता अगर अनयिरंकाल जलाशय से पानी नहीं छोड़ा जाता। इस अवधि के दौरान कुल पीढ़ी

266.69 एम. यू. था और नियंत्रित जारी से उत्पादन 60.12 एम. यू. है, जो कुल उत्पादन का लगभग 22.54% है। 2002-03 के सूखा वर्ष के दौरान, परियोजना से कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत गर्मियों के महीनों के दौरान मेसर्स से छोड़े गए पानी का उपयोग कर रहा था।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

अनयिरंकाल। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि याचिकाकर्ता पानी के नियंत्रित छोड़े जाने का लाभार्थी है।

अनयिरंकाल "।

20. आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा 2008 की रिट याचिका (सी) संख्या 4596 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा उनके निर्णय और दिनांक 15.02.2013 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। यह देखा गया कि सरकार की ओर से की गई कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि सी. यू. एम. आई. को छोड़कर सभी सी. पी. पी. इस तरह के रॉयल्टी के अधीन नहीं थे। यह स्पष्टीकरण दिया गया कि सी. पी. पी. और आई. पी. पी. अलग-अलग आधार पर खड़े थे, स्वीकार नहीं किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी रॉयल्टी या उपकर की वसूली का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और

तदनुसार 03.07.2004 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया गया।

21. सी. यू. एम. आई. द्वारा 2003 के ओ. पी. No.6880 को अनुमति दी गई थी

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और दिनांक 03.04.2013 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:

" भले ही डब्ल्यू. पी. में (सी) No.4596/2008, मैंने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ निष्कर्ष दिए हैं, पैराग्राफ 36 में मेरे निष्कर्षों को देखते हुए 41 और उक्त निर्णय के 51 से 53 तक, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-3 को दरकिनार करता हूं, जिसमें कहा गया है कि सरकार मनियार पनबिजली परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी पर रॉयल्टी या अन्य शुल्कों के माध्यम से याचिकाकर्ता से कोई राशि वसूल करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित है। इन परिस्थितियों में, वहाँ

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

22. आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. के मामलों में एकल न्यायाधीश के फैसलों पर बोर्ड द्वारा रिट अपील दायर करके सवाल उठाए गए थे।

डिवीजन बेंच के समक्ष क्रमशः 2013 का Nos.1345 और 2013 का 1355, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 03.04.2014 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

डिवीजन बेंच के फैसले में दो भाग होते हैं: पहले भाग में इंडसिल के मामले पर विचार किया गया जबकि दूसरे भाग में सी. यू. एम. आई. के मामले पर विचार किया गया।

22.1 इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि एक समझौता करने के बाद एक पक्ष को अलग कर दिया जाएगा समझौते के संदर्भ में अपने दायित्व पर विवाद करने से। भेदभाव के आधार पर प्रस्तुत करने के संबंध में, खंड पीठ ने कहा:

" 24. पहला आधार जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने

Ext.P11 में हस्तक्षेप यह है कि इसने [2021] 13 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता एक कैप्टिव पावर प्लांट है, जो केवल पललकड़ में अपने कारखाने में विद्युत ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसलिए, सी. पी. पी. में उत्पादन में बिजली बोर्ड या किसी और को कोई बिक्री शामिल नहीं है। जिस पर दूसरी ओर, मैसर्स कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा स्थापित संयंत्र को छोड़कर शेष बिजली संयंत्र स्वतंत्र बिजली संयंत्र हैं जिन्होंने केएसबी के साथ बिजली खरीद समझौते किए हैं, जिसके आधार पर उत्पन्न पूरी बिजली विद्युत बोर्ड द्वारा नियमों और शर्तों पर खरीदी जाती है जो पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं। आई. पी. पी. द्वारा इस प्रकार उत्पन्न बिजली के संबंध में, यदि बोर्ड या राज्य रॉयल्टी, उपकर या अन्य शुल्क लगाता है, तो यह आवश्यक रूप से उस कीमत में जोड़ा जाएगा जिस पर उत्पन्न ऊर्जा बोर्ड को बेची जाती है। बोर्ड द्वारा

उत्पादन कंपनी को दिए गए इस तरह के बढ़े हुए मूल्य को अनिवार्य रूप से बोर्ड के उपभोक्ताओं को देना होगा, जो हैं -

उत्पन्न ऊर्जा के अंतिम उपयोगकर्ता। इससे निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां उत्पन्न और उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली ऊर्जा महंगी हो जाएगी। बोर्ड और सरकार के अनुसार, यही कारण था कि आई. पी. पी. को उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पर रॉयल्टी या उपकर या अन्य शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि आई. पी. पी. और सी. पी. पी. दोनों की स्थापना ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के एक ही उद्देश्य के लिए की गई है। लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने भेद करने की दृष्टि खो दी है

यह कारक कि प्रथम उत्तरदाता के सी. पी. पी. द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उपभोक्ताओं को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है और यह कि यह अन्य आई. पी. पी. के विपरीत केवल स्व-उपभोग के लिए है। इसलिए, हमारे विचार में, यह औचित्य कि यदि रॉयल्टी या उपकर या अन्य शुल्क लगाए जाते हैं, तो आई. पी. पी. में उत्पन्न ऊर्जा उपभोक्ता के लिए अधिक महंगी होगी और इसलिए आई. पी. पी. को राहत दी गई।

उस दायित्व का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आई. पी. पी. और सी. पी. पी. के वर्गीकरण के लिए एक वैध कारण है।

26. दूसरा, आई. पी. पी. जिनकी शिकायत प्रथम उत्तरदाता द्वारा की जाती है।

एक्सटीएस के लिए स्थापित किए गए थे। द्वारा जारी पी8 और पी9 आदेश

2002 और 2003 में केरल सरकार। इन आदेशों से पता चलता है कि इन आदेशों में शामिल किए गए नियम और शर्तें Ext.P1 में निहित शर्तों से पूरी तरह से अलग हैं, जिसके अनुसार मंजूरी दी गई थी, समझौते को निष्पादित किया गया था और परियोजना को पहले प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए, Ext.P3 समझौते में प्रथम प्रतिवादी द्वारा किए गए दायित्व और Ext.p8 और Ext.P9 के लाभार्थियों पर लगाए गए दायित्व अतुलनीय और अलग हैं। यह स्वयं दर्शाता है कि प्रथम उत्तरदाता और स्वतंत्र बिजली संयंत्रों के मालिक

अलग-अलग वर्गों में आते हैं और इसलिए भी कोई नहीं हो सकता है

भेदभाव की शिकायत की जाए।

27. एक अन्य कारण, हमारे विचार में, विद्युत बोर्ड द्वारा आग्रह किया गया एक वैध कारण यह था कि पहले प्रतिवादी के मामले के विपरीत, 59 आई. पी. पी. पानी के नियंत्रित छोड़े जाने के लाभार्थी नहीं

हैं। अभिवचन से पता चलता है कि राज्य के अनुसार, अपने सी. पी. पी. में प्रथम प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न बिजली का 22.54% इसके लिए जिम्मेदार है -

पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ना। दूसरी ओर, आई. पी. पी. इस तरह के नियंत्रित रिलीज के लाभार्थी नहीं हैं। यह भी एक उचित कारण है।

यह मानना कि सी. पी. पी. और आई. पी. पी. समान रूप से स्थित नहीं हैं।

प्रत्यर्थी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था या Ext.P11 मनमाना या अनुचित है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। भारत का "।

22.2 एस. आई. एल. समझौते के संदर्भ में किए गए दायित्व की प्रकृति पर विचार करते हुए, खंड पीठ ने कहा:

" 38. चूँकि इन मामलों में रॉयल्टी केवल ग्रेंटर द्वारा आरक्षित एक संविदात्मक भुगतान है और कर की प्रकृति में लेवी नहीं है, इसलिए राज्य के पहले प्रतिवादी के पनबिजली संयंत्र में खपत होने वाले पानी पर रॉयल्टी लगाने के लिए विधायी रूप से सक्षम या अक्षम होने का सवाल ही नहीं उठता है। जहां तक रॉयल्टी के उद्ग्रहण की प्रकृति का संबंध है, भले ही रॉयल्टी और उपकर शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन यह असंगत है। इसलिए यह

विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को भी कायम नहीं रखा जा सकता है।

39. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि भले ही शुल्क देय हो, लेकिन इस तरह के शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक बार जब प्रथम प्रतिवादी सरकार द्वारा लगाए जाने पर रॉयल्टी का भुगतान करने का दायित्व संभाल लेता है, तो सरकार हमेशा उस समय से रॉयल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होती है जब समझौते का लाभ प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था। इसलिए इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

40. प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि बोर्ड की पन्नियार बिजली परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर बोर्ड द्वारा पन्नियार नदी के माध्यम से अनायरांकल बांध से पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ा गया था। उनके अनुसार, इस पानी को मुक्कुडी में पन्नियार नदी के पार कुथंगल परियोजना के लिए मोड़ दिया जाता है और इनका उपयोग केवल कुथंगल परियोजना के कारण

किया जाता है। वकील के अनुसार, यह केवल एक आकस्मिक लाभ है और उन्हें इसके लिए उत्तरदायी बनाने के लिए है।

नियंत्रित रिलीज, पानी केवल उनके कहने पर और उनकी परियोजना में उत्पादन के लिए छोड़ा जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। हमर विचारमे एहि तर्कमे कोनो सार नहि अछि। पार्टियों को Ext.P3 द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंध साक्षय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समझौते में प्रावधान है कि उनके द्वारा प्राप्त नियंत्रित रिलीज के अतिरिक्त लाभ के लिए, एजेंसी समझौते में प्रदान किए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। समझौते में यह नहीं कहा गया है कि इस तरह की नियंत्रित रिहाई प्रथम प्रतिवादी के कहने पर होनी चाहिए और यह उनके एकमात्र लाभ के लिए होनी चाहिए। इसके बजाय, यदि एजेंसी पानी के नियंत्रित छोड़े जाने का लाभार्थी है, तो वे इसके लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। मान लीजिए, पहला उत्तरदाता नियंत्रित रिलीज का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है अनयिरांकल
से पानी और जब तक ऐसा है, Ext.P1 के खंड 14 को देखते हुए, पहला प्रतिवादी खुद को उस दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए, इस तर्क को केवल अस्वीकार किया जाना चाहिए और

हम ऐसा करते हैं। "

22.3 डिवीजन बेंच ने इस प्रकार पाया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करने में गलती की थी। हालाँकि, इसने निष्कर्ष निकाला कि सरकार द्वारा दिनांकित 03.07.2004 आदेश के माध्यम से उठाई गई मांग उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा पर थी।

उपयोग किए गए पानी की मात्रा या नियंत्रित पानी छोड़ने के उपयोग से जुड़ा होना। इसलिए, इसने सरकार को अपीलार्थी को उचित सूचना के बाद नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जो इस प्रकार है:

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

" 42. इसलिए, उपयोग किए गए पानी की मात्रा का आकलन करते हुए सरकारी आदेश के खंड 14 के तहत रॉयल्टी लगाई जानी चाहिए।

Ext.P1 के खंड 15 को लागू करना। हालाँकि, एक्सट में। पी11 रॉयल्टी उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा पर लगाई जाती है। यह, हमारे विचार में, Ext.P1 सरकारी आदेश और अतिरिक्त के साथ असंगत है। पी3

समझौता जो केवल पानी के उपयोग के लिए रॉयल्टी लगाने की अनुमति देता है, जो खंड 15 में निर्दिष्ट सूत्र को लागू करके मूल्यांकन किए गए पानी की मात्रा पर आधारित होना चाहिए, न कि उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा पर।

43. इसी तरह, नियंत्रित रिलीज प्राप्त करने के लाभ के लिए

जल, सरकार एजेंसी पर योजना से उत्पन्न ऊर्जा के लिए लागत घटक के बराबर शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र है।

इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि Ext.P1 सरकार के खंड 14 से स्पष्ट है

कि उत्पन्न ऊर्जा का 35 प्रतिशत नियंत्रित रिलीज का उपयोग कर रहा था, दायर किए गए जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यह 22.54% था। हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि यह आंकड़ा एक स्थिर नहीं हो सकता है, यह एक तथ्य है कि पानी के नियंत्रित रिलीज का उपयोग करके पूरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन, चूंकि नियंत्रित रिलीज के लिए शुल्क Ext.P11 में आदेश के अनुसार है, और जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा एक्सट्स में की गई थी। पी15 और पी28, उत्पन्न पूरी ऊर्जा पर है, मांग एक्सटीएस के साथ असंगत है। पीएल और पी3, हम आदेशों को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

22.4 सी. यू. एम. आई. से संबंधित मामले के संबंध में यह देखा गया:

" 57. हमारे विचार में, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधान बिजली उत्पादन से संबंधित हैं और अधिनियम के प्रावधान किसी सरकार या बोर्ड को एक समझौते में प्रवेश करने से नहीं रोकते हैं, जो किसी उत्पादक कंपनी को रॉयल्टी या अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा देय अन्य शुल्कों के बदले एक पनबिजली उत्पादन केंद्र स्थापित करके ऊर्जा उत्पादन के लिए पानी के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करने के लिए सहमत होता है। इसलिए, यदि अनुबंध के तहत, सरकार पहले प्रतिवादी जैसे किसी निजी पक्ष से सहमत होती है कि वह

ऊर्जा उत्पादन के लिए पनबिजली परियोजना के लिए उपलब्ध जल

और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना आवश्यक है और सरकार का संविदात्मक अधिकार या भुगतान करने के लिए उत्पादन करने वाली कंपनी का दायित्व बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के किसी भी प्रावधान से प्रभावित नहीं होता है। अत: 1

प्रत्यर्थी जिसने स्वेच्छा से सरकार को रॉयल्टी और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए एक समझौता किया है और उसके बाद इसके लाभ का आनंद लेने के बाद, अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के प्रावधान और तर्क देते हैं कि सरकार या बोर्ड के पास विद्युत के तहत कोई शक्ति नहीं है।

(आपूर्ति) उन शुल्कों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम जो उनके द्वारा संविदात्मक रूप से देय हैं। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क

अस्वीकार्य है और अस्वीकार कर दिया गया है।

58. प्रथम प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि मनियार पनबिजली परियोजना के लिए कोई नियंत्रित रिलीज नहीं थी और इसलिए पानी के नियंत्रित रिलीज के लिए उन पर लगाया गया शुल्क अस्थिर है। हम पहले उत्तरदाता द्वारा डब्ल्यू. ए. संख्या में उठाए गए इस तरह के तर्क को पहले ही खारिज कर चुके हैं। 1345/13 और 18/14 और हमारे द्वारा दिए गए कारण इस मामले में भी लागू होने चाहिए। इसके अलावा, हम विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को इस कारण से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

पानी भी। इसके अलावा, दोनों Exts में। पी5 और पी6, उनके द्वारा लगाए गए शुल्क पर आपत्ति जताते हुए किए गए अभ्यावेदन, उनके पास इस बात का कोई मामला नहीं था कि पानी को नियंत्रित रूप से नहीं छोड़ा गया था। इसलिए, उपरोक्त समझौते और पत्राचार द्वारा, पहला उत्तरदाता स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ा जाता है और इसलिए उनके लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है कि वे मुड़ें और तर्क दें कि पानी का कोई नियंत्रित रिलीज नहीं है जो उन्हें पानी से मुक्त कर सके।

समझौते के खंड 14 में संविदात्मक दायित्व।

22.5 सी. यू. एम. आई. के खिलाफ दायर रिट अपील को इस प्रकार अनुमति दी गई कि एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। 23. आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने व्यथित होकर दीवानी अपील सं. दायर की। 9845-9846 16 उच्च न्यायालय में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराते हुए।

सरकार की ओर से दायर जवाब में, यह अन्य रूप से प्रस्तुत किया गया था:

" घ. याचिकाकर्ता एक कैप्टिव पावर प्लांट है जो इंडसिल हाइड्रो पावर और मैंगनीज लिमिटेड v के नियंत्रित रिलीज के साथ जल मार्ग से बिजली उत्पन्न करता है।

टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

आनयिरंकाल जलाशय से पोनमुडी तक का पानी स्वयं के लिए उपभोग और इस प्रकार सरकार द्वारा रॉयल्टी का संग्रह

शुल्क में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उत्पन्न ऊर्जा को वितरण के लिए के. एस. ई. बी. को नहीं बेचा जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा अपने कैप्टिव पावर प्लांट में उत्पन्न बिजली का 22.54% पानी के नियंत्रित रिलीज के लिए जिम्मेदार है। याचिकाकर्ता के मामले के विपरीत, 59 आई. पी. पी. इस तरह के नियंत्रित रिलीज के लाभार्थी नहीं हैं। सरकार द्वारा रॉयल्टी की मांग की गई थी

बिजली के उत्पादन के लिए सरकार में निहित प्राकृतिक संसाधन से पानी के उपयोग का अधिकार देना, जो नियामक की शक्तियों के दायरे में नहीं आता है। याचिकाकर्ता और के. एस. ई. बी. के बीच गठित आयोग निर्णायक है और याचिकाकर्ता पर पूरी तरह से बाध्यकारी है।

.....

कुथंगल परियोजना और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अनयिरंकाल जलाशय की अनुपस्थिति में पानी पोनमुडी की ओर बह गया होगा। मानसून के महीनों के दौरान और वेयर ज्यादातर समय ओवरफ्लो होता था। और गर्मियों के महीनों के दौरान अनयिरंकाल बांध से पानी छोड़े जाने के अभाव में कुथंगल परियोजना में बिजली उत्पादन में काफी कमी आएगी। अनयिरंकाल में हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में पानी छोड़ा जाता है और यह योजना साल में ज्यादातर इन महीनों के दौरान बिजली पैदा करती है और मुख्य रूप से बिजली बाहर निकालती है।

अनयिरंकाल से छोड़ा गया पानी। इस अवधि के दौरान बिजली का कुल उत्पादन 266.69 एम. यू. और उत्पादन से था

नियंत्रित रिलीज 60.12 एम. यू. थी, जो कुल पीढ़ी का लगभग 22.54% है। याचिकाकर्ता को अनयिरंकाल से पानी छोड़ने से बिजली उत्पादन का पूरा लाभ मिल रहा है गर्मियों के चरम महीनों में जलाशय। 2002-03 के सूखा वर्ष में, परियोजना से कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत गर्मियों के महीनों के दौरान अनयिरंकाल बांध के पानी का उपयोग करके किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता की परियोजना पानी के नियंत्रित छोड़े जाने पर आधारित नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

हमारे विशेष लाभों के लिए अनायरांकल बांध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां कहीं भी राज्य सरकार ने मैसर्स कार्बोरैंडम की परियोजना जैसे किसी पक्ष के साथ अनुबंध किया है, जिसमें पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ना शामिल है, उसने इस आशय का एक विशिष्ट खंड प्रदान किया है क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान करने के लिए लागत शामिल होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के मामले में, ऐसा कोई खंड प्रदान नहीं किया गया है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने 8 अप्रैल, 1994 की बैठक में विशेष रूप से सहमति व्यक्त की कि पानी के उपयोग के लिए जल उपकर नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के साथ प्रतिवादी द्वारा भेदभाव किया जा रहा है

नहीं। 1 & 2 तत्काल मामले के तथ्यों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन।

7. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी नं। 1 & 2 कार्बोरंडम की परियोजना और याचिकाकर्ता की परियोजना पर रॉयल्टी की समान दर लागू की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कार्बोरंडम की परियोजना नियंत्रित रिलीज पर आधारित है। याचिकाकर्ता के मामले में, ऐसी कोई नियंत्रित रिहाई नहीं है। इसके अलावा, औसतन, याचिकाकर्ता की पीढ़ी का केवल 22.54% कथित नियंत्रित रिलीज से आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आधार पर

अकेले, याचिकाकर्ता पर लगाया गया शुल्क अनुचित और मनमाना है। 24. 2016 की सिविल अपील Nos.9847-9850 में, अपील के आधार

1 सी. यू. एम. आई. ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दोहराई हैं। परियोजना के स्थान और उपयोग के संबंध में दावे

ओ. एल. डी. से पानी छोड़ा गया:

" के. एस. ई. बी. के मूझियार पावर हाउस में पानी छोड़ने वाले स्थान से याचिकाकर्ताओं की मनियार पनबिजली परियोजना के लिए पानी का कथित रूप से नियंत्रित रिलीज होना चाहिए न कि पीडब्ल्यूडी के सिंचाई बांध या मूझियार में अपनी पनबिजली परियोजना के लिए। वर्ष 1998 के बाद, के. एस. ई. बी. ने अपनी खुद की हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडसिल हाइड्रो पावर और मैंगनीज लिमिटेड वी. की स्थापना की है।

टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

नदी के ऊपर की ओर कक्कड़ में परियोजना और दो और निजी पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई थी और उसी नदी के ऊपर की ओर, यानी के. एस. ई. बी. के मूझियार पावर हाउस और याचिकाकर्ता के मनियार पावर प्लांट के बीच स्थापित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि कक्कड़ में बोर्ड की पनबिजली परियोजना द्वारा उपयोग किए जा रहे पानी को कथित रूप से नियंत्रित रूप से छोड़ा जा रहा है और फिर आगे चलकर दो अन्य निजी पनबिजली में चला जाता है।

दो और छोटी नदियों द्वारा मजबूत और 237 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र से पानी के अन्य स्रोत के साथ आगे नीचे बहने के रास्ते में संगम बनाता है। अभिलेख पर मानचित्र द्वारा साक्षय।"

24.1 बोर्ड द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया था:

" 8. .... पनबिजली परियोजना को आम तौर पर भंडारण क्षमता के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-(ए) बड़ी क्षमता वाले जलाशय वाली पनबिजली परियोजनाएँ और (बी) कम क्षमता वाली जलाशय/नदी परियोजनाओं वाली पनबिजली परियोजनाएँ।

11. सबरीगिरी बिजली परियोजना में दो बांध शामिल हैं, एक पम्बा नदी (पम्बा जलाशय) के पार और दूसरा इसकी सहायक नदी कक्की (कक्की जलाशय) के पार, अनाथोड में भी एक किनारे वाला बांध है। ये दोनों जलाशय एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

105241 फीट लंबी (3209.82m) परस्पर जुड़ी सुरंग। कक्की जलाशय से पानी 18209 फीट (5553.73m) के माध्यम से खींचा जाता है।

300 मेगावाट की मूल स्थापित क्षमता के साथ पानी को बिजली घर तक ले जाने वाली लंबी बिजली सुरंग और तीन पेनस्टॉक का एक सेट जिसमें 50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ शामिल हैं। स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के बाद, स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 340 मेगावाट कर दिया गया है। कक्की और पम्बा जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 477.67 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है। उपरोक्त के अलावा, वृद्धि ऊपरी मूझियार (0.035 एम. सी. एम., मीनार 1 (0.028 एम. सी. एम.), मीनार-2 (0.057 एम. सी. एम.) और कुल्लार-गविआर (2.78 एम. सी. एम.) जैसी योजनाएं पंबा और कक्की जलाशयों को संवर्धित करती हैं। इस प्रकार, कक्की और पम्बा जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 480.54 एमसीएम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. याचिकाकर्ता मैसर्स कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा संचालित मनियार पावर हाउस दूसरी श्रेणी से संबंधित है जहां सकल भंडारण केवल 8 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है, जो पावर हाउस के दो दिनों के पूर्ण भार संचालन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, मनियार पावर स्टेशन का संचालन पूरे वर्ष केवल पंबा कक्की भंडारण जलाशय (मनियार भंडारण से लगभग 60 गुना बड़ा) के बड़े भंडारण और सबरीगिरी पावर हाउस से नियंत्रित पानी छोड़ने के कारण किया जाता है। जब मेसर्स कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने के. एस. ई. बी. के साथ 18.05.1991 पर समझौते को लागू किया, तो सबरीगिरी पावर स्टेशन की निचली धारा पर कक्कड़ पावर स्टेशन का निर्माण चल रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि कक्कड़ पावर स्टेशन की भंडारण क्षमता भी बहुत कम है। 1. 16 एम. सी. एम. की भंडारण क्षमता वाला मूझियार जलाशय और 0.607 एम. सी. एम. की भंडारण क्षमता वाला वेलुथोडु जलाशय कक्कड़ पावर स्टेशन के जलाशय हैं। इस प्रकार, तीनों शक्तियों की भंडारण क्षमता

स्टेशनों को नीचे दिखाया गया है:

सबरीगिरी पावर हाउस-480.54 एमसीएम (प्रभावी) कक्कड़ पावर हाउस-1.767 एमसीएम (प्रभावी) मनियार पावर हाउस-8 एमसीएम (सकल)

साइप्पिनकुझी धारा जैसी धाराएँ भी इस जलाशय तक पहुँचती हैं। इस पानी को जमीन के नीचे की सुरंग के माध्यम से कक्कड़ पावर स्टेशन में लाया जाता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। वेलुथोड नामक एक अन्य धारा से पानी भी धारा के पार एक छोटे से बांध का निर्माण करके कक्कड़ पावर स्टेशन में लाया जाता है। कक्कड़ पावर स्टेशन के चालू होने से पहले, सबरीगिरी पावर हाउस से पानी का नियंत्रित रिसाव सीधे मनियार बैराज (केरल सिंचाई विभाग के स्वामित्व में) तक पहुंच

गया था और यह था एम/एस द्वारा उपयोग किया गया। मनियार पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए काबोरेन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड। फर्क सिर्फ इतना है कि

कक्कड़ पावर स्टेशन का चालू होना वही पानी एम/एस है।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

कक्कड़ विद्युत केंद्र में बिजली उत्पादन के लिए एक बार फिर इसका उपयोग किया जाता है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि कक्कड़ पावर हाउस में भी कुछ और नियंत्रण/विनियमन किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कक्कड़ और मनियार के बीच पानी (नदियों) का कोई प्रमुख स्रोत नहीं है जो मनियार पावर हाउस को पानी की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब, कक्कड़ और मनियार बिजली स्टेशनों के बीच उल्लुमकल (7 मेगावाट) और करिकायम (10.5 मेगावाट) में दो और छोटे बिजली स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सभी

कक्कड़, उल्लुमकल, करिकायम और मनियार के इन बिजली स्टेशनों में छोटे जलाशय हैं और वे पूरे वर्ष बिजली उत्पादन के लिए सबरीगिरी बिजली स्टेशन से पानी के विशाल भंडारण और नियंत्रित छोड़े जाने का उपयोग करते हैं। अगर सबरीगिरी बिजली परियोजना नहीं होती तो पंबा और कक्की नदियों का पानी बह जाता। हालाँकि इन नदियों का
प्राकृतिक प्रवाह मार्ग और मनियार पावर हाउस के बहुत नीचे तक पहुँच जाएगा जैसा कि इसे यहाँ से देखा जा सकता है।

रेखाचित्र संलग्न "।

24.2 वनाच्छादित उत्तर के प्रति अपने प्रत्युत्तर में, इसे प्रस्तुत किया गया था

सीयूएमआई:

" 19. कि जवाबी हलफनामे के पैरा (8) की सामग्री को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त सामग्री निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।

20. कि जवाबी हलफनामे के पैरा (9) से (18) की सामग्री को गलत और आधारहीन बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ में निहित अभिकथन नई दलीलें हैं जो उत्तरदाता नं। 2 इस
माननीय न्यायालय के समक्ष पहली बार और इस प्रकार इसे पहली बार विशेष अनुमति याचिका राज्य में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

25. आई. एन. डी. एस. आई. एल. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने प्रस्तुत किया:

क) सी. यू. एम. आई. समझौते का खंड 14 आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते के खंड 19 से अलग और अलग था। इसके अलावा, मामले की आवश्यकता थी

दिनांक 08.04.1994 के निर्णय के आलोक में देखा जाना और पानी के उपयोग पर रॉयल्टी लागू करना दिनांकित 08.04.1994 के निर्णय का उल्लंघन होगा।

ख) इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया कि सी. यू. एम. आई. समझौते में खंड 14 के विशिष्ट समावेश के विपरीत ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया। आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते में।

ग) आनयिरंकाल जलाशय से निचले स्तर पर होने के कारण लेकिन पनियार विद्युत केंद्र से ऊंचे होने के कारण, आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजना की कल्पना की गई थी।

घ) सी. यू. एम. आई. के मामले में पानी का नियंत्रित निर्वहन इसकी परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। दूसरी ओर, इस तरह पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ना विशेष रूप से आई. एन. डी. एस. आई. एल. के लाभ के लिए नहीं होगा, बल्कि पनियार में संयंत्र के लाभ के लिए होगा। इसलिए सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. के मामले में समानता लाना अवैध होगा।

ई) पानी के उपयोग पर रॉयल्टी लगाना असंवैधानिक होगा क्योंकि आई. एन. डी. एस. आई. एल. के साथ इसी तरह अन्य लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था।

स्थित पनबिजली संयंत्र।

च) आई. एन. डी. एस. आई. एल. के खंड 19 के संदर्भ में रॉयल्टी का अधिरोपण

26. सी. यू. एम. आई. की ओर से श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया: क) जब इसका समझौता किया गया था, तो सी. यू. एम. आई. निजी क्षेत्र में एकमात्र बिजली परियोजना थी और इस तरह, किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं था। हालाँकि, भेदभाव तब पैदा हुआ जब अन्य बिजली परियोजनाओं को बिना किसी शुल्क के नियंत्रित पानी छोड़ने का लाभ दिया गया।

ख) सी. पी. पी. और आई. पी. पी. के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता था। 2002 के संशोधित दिशानिर्देशों में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया था। कर लगाने का आधार पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ने से प्राप्त लाभ था। इसलिए, अंतर उन लोगों के बीच हो सकता है जिनके पास एक तरफ पानी के नियंत्रित रिलीज का लाभ है और जिनके पास ऐसा एम/एस नहीं है।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

दूसरी ओर लाभ। आई. पी. पी. के खिलाफ सी. पी. पी. जैसे कोई भी अन्य भेद अप्राकृतिक और तर्कहीन होगा।

ग) भले ही, समझौते में प्रासंगिक खंड एक बातचीत थी

खंड ने कहा कि खंड मनमाना या भेदभावपूर्ण होने के कारण इसे निरस्त किया जा सकता है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था। आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और Anr.5 और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। गोविंदन राघवानो।

घ) सी. यू. एम. आई. के बिजली संयंत्र को न केवल पानी मिल रहा था

सबरीगिरी और मूझियार जलाशयों से, लेकिन जलग्रहण क्षेत्र की धाराओं से भी। इस प्रकार, सीयूएमआई को पानी की आपूर्ति की संपूर्णता को बोर्ड के मूझियार पावर हाउस से नियंत्रित पानी के रूप में नहीं माना जा सका। ई) सी. यू. एम. आई. समझौते में प्रासंगिक खंड, अधिक से अधिक, लागत घटक पर पानी के नियंत्रित छोड़ने के लिए शुल्क को आकर्षित करेगा।

वहाँ से। इसलिए, सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 में उत्पादित बिजली के लिए 10 प्रतिशत शुल्क प्रदान करने की शर्त नीति के अधिकार से बाहर थी।

च) इसके अलावा, विचाराधीन शुल्क प्रदान की गई सेवा के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा, यह शुल्क नहीं रहेगा और

छ) मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गणनाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता थी जहां सभी प्रासंगिक पहलुओं को ठीक से ध्यान में रखा जाना था। के लिए और शुल्क को जल के नियंत्रित निर्वहन से प्राप्त लाभ की लागत से जोड़ा जाना था न कि जलग्रहण क्षेत्र से अन्य स्रोतों से

क्षेत्र।

27. श्री जयदीप गुप्ता और श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ, दोनों में क्रमशः बोर्ड और राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रस्तुत की गई याचिकाएँ: -

4 (1986) 3 एससीसी 156। 5 (2019) 4 एससीसी 401। 6 (2019) 5 एससीसी 725। 7 (1975) 1 एससीसी 509।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) नीति के नियम और शर्तें, जिसमें नीति का खंड 14 भी शामिल है, विशेष रूप से आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. समझौतों में शामिल थे।

नीति के खंड 14 में किसी एजेंसी/परियोजना द्वारा नियंत्रित पानी छोड़ने के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बारे में बताया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि इस तरह के नियंत्रित पानी छोड़ने के लिए लागत घटक का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। पॉलिसी के खंड 15 ने फिर प्रासंगिक संकेत का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र को निर्धारित किया। समझौते स्वीकार कर लिए गए हैं इस तरह के नियंत्रित पानी छोड़ने का भुगतान करने का दायित्व, मामला विशुद्ध रूप से अनुबंध के दायरे में था।

(ख) इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई असमान या अप्राकृतिक सौदेबाजी नहीं थी। दोनों

सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. ने पानी के नियंत्रित छोड़े जाने के उपयोग के लिए भुगतान करने के दायित्व को स्वेच्छा से स्वीकार किया था। यह एक वाणिज्यिक अनुबंध था जिसे उचित बातचीत के बाद किया गया था। (ग) सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजनाओं के स्थान के साथ-साथ अभिलेख पर तथ्यों से पता चलेगा कि दोनों परियोजनाओं को पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ मिल रहा था। सीयूएमआई मूझियार पावर से नीचे बहने वाले "टेल रेस" पानी के निर्वहन का लाभ उठा रहा था।

बोर्ड का सदन जबकि आई. एन. डी. एस. आई. एल. परियोजना अनयिरांकल बांध से पानी के निर्वहन की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ उठा रही थी। (घ) नीति के खंड 14 में निर्धारित किया गया था कि आम तौर पर मौजूदा जलाशयों के ऐसे लाभ और मौजूदा बिजली के "टेल रेस" लाभ

स्टेशनों को निजी एजेंसियों को नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में ऐसी योजनाओं को निजी पक्षों को अनुमति दी जाती है, तो उन्हें नियंत्रित पानी छोड़ने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। (ई) उन परियोजनाओं के विपरीत जो पानी की अनियमित और रुक-रुक कर आपूर्ति पर निर्भर करती हैं, पानी की सुनिश्चित और नियंत्रित आपूर्ति ने बिजली उत्पादन के लिए टर्बाइनों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाया। ऐसी सुनिश्चित आपूर्ति वह तत्व था जिसके आधार पर नीति की शर्तों को समझौतों में शामिल किया गया था और देयता को स्वीकार किया गया था।

(च) नीति के खंड 14 सहित नीति की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होने के बाद, यह सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. के लिए खुला नहीं होगा

(छ) भले ही सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14, आई. एन. डी. एस. आई. एल. के खंड 19 के समान आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते में कोई विशिष्ट खंड नहीं था। नीति की शर्तों के साथ पढ़े गए समझौते ने स्थिति को काफी एम/एस बना दिया।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

साफ करें और शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से कोई बचाव नहीं होगा जल के नियंत्रित निर्वहन के लिए।

(ज) एक ओर आई. एन. डी. एस. आई. एल. और दूसरी ओर सी. यू. एम. आई. में कोई अंतर नहीं था। दोनों को नियंत्रित रूप से पानी छोड़ने का लाभ मिल रहा था और उनके मामले नीति के खंड 14 के दायरे में आते थे।

(i) पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ने के लिए देय शुल्क की उत्पत्ति नीति और समझौतों की शर्तों में थी। प्रस्तुतियाँ

सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. की ओर से यह कि यह अनिवार्य निष्कासन के बराबर होगा, इसलिए बिना किसी योग्यता के था।

28. इससे पहले कि हम प्रमुख प्रस्तुतियों से निपटें, एक पहलू

अपीलार्थियों की ओर से उजागर किए गए मामले को निपटाने की आवश्यकता है।

30.12.1994 पर समझौता किया गया था। हालाँकि सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 की तुलना में कोई विशिष्ट खंड आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नीति के नियमों और शर्तों का एक विशिष्ट संदर्भ बनाया गया था और ऐसे नियमों और शर्तों को आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते में शामिल किया गया था। इस प्रकार दिनांकित 08.04.1994 के निर्णय का विचाराधीन मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 29. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजनाएं उन स्थानों पर स्थित हैं जहां लाभ है।

पानी की नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित है और इसे प्राप्त किया जा सकता है।

30. पनबिजली परियोजनाएँ टर्बाइनों को बिजली पैदा करने में सक्षम बनाने के लिए ऊँचाई से पानी के गिरने के बल पर निर्भर करती हैं। आम तौर पर, जलाशय से पेनस्टॉक के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। एक जलाशय से संग्रहीत पानी उत्पादन इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए पानी की निरंतर और नियमित आपूर्ति का आश्वासन देता है।

एक बड़े जलाशय से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक तरीका है।

पानी की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति। हालांकि, स्थलाकृति के कारण, बड़े जलाशय हमेशा एक उत्पादन इकाई के करीब नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में, अधिक ऊंचाई पर स्थित एक बड़े जलाशय का पानी [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके बाद पानी की आपूर्ति उत्पादन इकाइयों को की जाती है; और कमी पानी के भंडार में नियमित रूप से बड़े जलाशय से भर दिया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए पानी की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक और तरीका है।

टर्बाइनों को आगे बढ़ाने के लिए पानी के बल का उपयोग करने के बाद, पानी को उत्पादन इकाई या बिजली घर से छोड़ा जाता है। इस तरह

पानी का निर्वहन या "टेल रेस" लाभ भी सुसंगत होगा, जो इस तरह की उत्पादन इकाई या बिजली घर को मिलने वाली पानी की आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि कोई अन्य उत्पादन इकाई ऐसे बिजलीघर की तुलना में निचले स्तर पर है, तो उच्च दृष्टिकोण पर बिजलीघर से निर्वहन स्वयं मान सकता है और निम्न स्तर या ऊंचाई पर उत्पादन इकाई को पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

31. सी. यू. एम. आई. की परियोजना का स्थान उस स्थान पर है जहाँ बोर्ड के मूझियार पावर हाउस से पानी का निर्वहन बोर्ड के कक्कड़ पावर हाउस की ओर मोड़ दिया जाता है, जहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति होती है।

मूझियार पावर हाउस के "टेल रेस" लाभ के रूप में पानी। कक्कड़ पावर हाउस में बिजली उत्पादन के बाद, पानी को फिर से नदी में बहने दिया जाता है। कक्कड़ पावर हाउस की क्षमता 50 मेगावाट है जबकि सीयूएमआई की क्षमता 12 मेगावाट है। पानी की आपूर्ति भले ही ऊंचाई पर स्थित और अधिक क्षमता वाले बिजलीघर के लिए हो, इस प्रकार निश्चित रूप से निरंतरता और निरंतरता सुनिश्चित करती है।

कम ऊँचाई पर स्थित सी. यू. एम. आई. की परियोजना को पानी की नियंत्रित आपूर्ति।

32. इसी तरह, एक बड़े जलाशय, अनयिरंकाल बांध से पानी को बहने दिया जाता है ताकि पनियार पावर हाउस तक पहुँच सके। 32 मेगावाट बिजली की क्षमता। पनियार पावर हाउस तक पहुँचने से पहले, पानी उस क्षेत्र से गुजरता है जहाँ इंडसिल की परियोजना स्थित है, जिसकी क्षमता 21 मेगावाट है। इस प्रकार आई. एन. डी. एस. आई. एल. की परियोजना के स्थान पर पानी की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति का प्राकृतिक लाभ होगा।

33. इस प्रकार अभिलेख पर तथ्यों से पता चलता है कि दोनों परियोजनाओं ने निश्चित रूप से नीति के खंड 14 में विचार के अनुसार पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ उठाया है। प्रत्येक परियोजना को पानी की नियंत्रित आपूर्ति का कितना लाभ मिला है या भविष्य में मिलेगा, यह गणना और गणना का विषय होगा।

एम/एस। इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

34. सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा किए गए समझौतों से पता चलता है कि नीति के नियम और शर्तें, जिसमें इसके खंड 14 भी शामिल हैं, समझौतों में जानबूझकर शामिल किए गए थे। सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि विशिष्ट स्थान के कारण, उनकी इकाइयों को निश्चित रूप से पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ होगा।

इस प्रकार, आई. एन. डी. एस. आई. एल. समझौते में सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 के समान एक विशिष्ट खंड की अनुपस्थिति का कोई परिणाम नहीं होगा। द.

पक्षों के बीच संबंध नीति के खंड 14 द्वारा नियंत्रित होंगे, जैसा कि संबंधित समझौतों में शामिल किया गया है।

35. विचार किए जाने वाले अगले प्रश्न यह हैं कि क्या सी. यू. एम. आई. समझौते के खंड 14 और नीति के खंड 14 को शामिल किया गया है।

संबंधित समझौतों को असहनीय और/या स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है।

36. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन में इस न्यायालय का निर्णय

निगम जिसे सेवा में लगाया गया था, वह रोजगार अनुबंध की शर्तों के संबंध में था। इस न्यायालय ने पाया कि इस तरह की अवधि को अनुबंध में केवल नियोक्ता के कहने पर शामिल किया जाएगा, जहां सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण कर्मचारी के पास ऐसी अवधि को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। यह इस संदर्भ में था कि रोजगार अनुबंध में निहित प्रासंगिक शब्द पाया गया था असहनीय। साथ ही, ऐसे शब्दों को अनुचित ठहराने के लिए न्यायालय के साथ वजन करने वाले सिद्धांतों को विशेष रूप से वाणिज्यिक अनुबंधों के मामलों में लागू नहीं होने के लिए कहा गया था। निर्णय के पैराग्राफ 89 में प्रासंगिक चर्चा यह थी:

" 89. .... इस देश के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान बनाया गया था। अनुच्छेद 14

संविधान सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। मामले के इस हिस्से पर उपरोक्त चर्चाओं से निकाला जा सकने वाला सिद्धांत सही और तर्क के

अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना है और अनुच्छेद 14 में महान समानता खंड के जनादेश के अनुरूप है। यह सिद्धांत यह है कि अदालतें लागू नहीं करेंगी और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो अनुचित और अनुचित को खारिज कर देंगे।

अनुबंध, या एक अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित खंड,

उन दलों के बीच प्रवेश किया जाता है जो सौदेबाजी की शक्ति में बराबर नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सौदों की एक विस्तृत सूची देना मुश्किल है। कोई भी अदालत उन विभिन्न स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकती जो [2021] 13 एस. सी. आर. में उत्पन्न हो सकती हैं।

पुरुषों के मामले। केवल कुछ चित्र देने का प्रयास किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, उपरोक्त सिद्धांत लागू होगा जहां असमानता है।

सौदेबाजी की शक्ति में बड़ी असमानता का परिणाम है

संविदाकारी पक्षों की आर्थिक शक्ति। यह कहाँ लागू होगा

असमानता परिस्थितियों का परिणाम है, चाहे वह सृष्टि की हो

पार्टियों का या नहीं। यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमजोर लोग

पार्टी ऐसी स्थिति में है जिसमें वह वस्तु या सेवाएँ प्राप्त कर सकता है या

आजीविका के साधन केवल मजबूत लोगों द्वारा लगाई गई शर्तों पर

पार्टी करें या उनके बिना जाएं। यह वहाँ भी लागू होगा जहाँ एक आदमी के पास नहीं है

विकल्प, या बल्कि कोई सार्थक विकल्प नहीं, लेकिन एक को अपनी सहमति देने के लिए एक निर्धारित या मानक में बिंदीदार रेखा पर अनुबंध या हस्ताक्षर करना

हालांकि, अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक सेट को स्वीकार करने के लिए उस अनुबंध में अनुचित, अनुचित और अनुचित खंड

या रूप या नियम हो सकते हैं। हालाँकि, यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।

जहाँ संविदाकारी पक्षों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर है या

लगभग बराबर। यह सिद्धांत दोनों पक्षों पर लागू नहीं हो सकता है।

व्यवसायी और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। में।

अवसंरचनात्मक संगठन और राज्य के साथ इसके माध्यम से लगभग हर शाखा में प्रवेश करने वाले उपकरण और अभिकरण

उद्योग और वाणिज्य की असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो

इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच अनुचित और अनुचित सौदेबाजी होती है

पूरी तरह से असमान और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखने वाले।

इन मामलों को न तो गिना जा सकता है और न ही पूरी तरह से चित्रित किया जा सकता है। द.

न्यायालय को प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए। 99

(जोर दिया गया)

37. एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य पीठ

इस न्यायालय के न्यायाधीशों का सारांश इस प्रकार है:

" यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि असमान सौदेबाजी की शक्ति से संबंधित याचिका

कुछ टिप्पणियों के आधार पर बहुत जोर दिया गया था

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में इस न्यायालय द्वारा। लिमिटेड वी.

ब्रोजो नाथ गांगुली। उक्त निर्णय किसी भी तरह से नहीं है।

अपीलार्थी की सहायता करें, क्योंकि पैरा 89 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है

कि असमान सौदेबाजी की शक्ति की अवधारणा का कोई उपयोग नहीं है

वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में।

9) 4 एससीसी 357 एम/एस।

38. इसी तरह के प्रभाव के लिए, आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड में इस न्यायालय की टिप्पणियां थीं, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 11. जैसा कि प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में इस न्यायालय का निर्णय। 4 , जो यह निर्धारित करता है कि जुड़ाव के अनुबंध यानी ऐसे अनुबंध जिनमें निजी व्यक्तियों और राज्य के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति है, निर्धारित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

एक तरफ इस आधार पर कि वे अनुचित हैं, लागू नहीं होता है जहां दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और अनुबंध एक है

वाणिज्यिक लेन-देन (उक्त निर्णय का पैरा 89 देखें)। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस आधार पर अपीलार्थी का तर्क

फैसला विफल होना चाहिए। "

39. पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, फ्लैट खरीदारों और बिल्डर के बीच किए गए समझौतों में कुछ शर्तें एकतरफा, अनुचित और अनुचित पाई गईं। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि समझौतों की शर्तें फ्लैट खरीदारों को बाध्य नहीं करेंगी।

40. इस प्रकार कानून स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां पक्षों के बीच किए गए अनुबंध या समझौते की अवधि पूरी तरह से एकतरफा, अनुचित और अनुचित है, जहां दूसरे पक्ष के पास सौदेबाजी करने की कम शक्ति है।

परिस्थितियों के बल पर ऐसी अवधि को स्वीकार करना पड़ा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में राहत

इसे बढ़ाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि समझौते लंबे विचार-विमर्श के बाद किए गए थे जहां सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों को कानूनी सलाहकार का लाभ मिला था। यह नहीं कहा जा सकता है कि सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. कम सौदेबाजी की शक्ति के साथ स्थिति में थे या इतने कमजोर थे कि

परिस्थितियों में उन्हें इस तरह की अवधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए, सी. यू. एम. आई. समझौते में संबंधित खंड के साथ-साथ संबंधित समझौतों में शामिल नीति की शर्तों को असहनीय नहीं कहा जा सकता है।

41. आई. सी. ओ. एम. एम. टेली लिमिटेड में, इस न्यायालय ने निविदा आमंत्रित करने की सूचना के खंड 25 (viii) को मनमाना पाया क्योंकि उक्त खंड एक पक्ष को हतोत्साहित करता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को लागू करने से एक मध्यस्थता समझौते के लिए जब तक कि यह पूर्व-जमा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। हालाँकि इस न्यायालय ने केंद्रीय अंतर्देशीय जल [2021] 13 एस. सी. आर. के आधार पर प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं किया।

परिवहन निगम, कि विचाराधीन खंड असहनीय था, इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार किया गया कि क्या उक्त खंड को स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है। यह खंड न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने और मध्यस्थता प्रक्रिया को अप्रभावी बनाने के उद्देश्य के विपरीत पाया गया। इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए ए. एल. कालरा बनाम. भारतीय परियोजना और उपकरण निगम 'में पाया गया था

पैराग्राफ 23 में कहा गया है कि खंड का तुच्छ दावे दायर करने से कोई संबंध नहीं था। पैराग्राफ 23 में चर्चा यह थी:

" 23. इस मामले द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जब तक यह पहली बार नहीं पाया जाता है कि जो मुकदमा शुरू किया गया है वह तुच्छ है, अनुकरणीय लागत या दंडात्मक नुकसान का पालन नहीं होता है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, दावा की गई राशि का 10 प्रतिशत "जमा-पर-कॉल", जो कि बड़ी राशि हो सकती है, स्पष्ट रूप से है।

तुच्छ दावों को दाखिल करने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष संबंध के बिना, क्योंकि यह सभी दावों (तुच्छ या अन्यथा) पर लागू होता है

सीमा। इससे पहले 10 प्रतिशत जमा करना होगा।

यह निर्धारित करना कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा किया गया दावा तुच्छ है। यह भी इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे यह तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा खंड कुछ ऐसा होने के अर्थ में मनमाना होगा जो अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा और जिससे कोई भी उचित व्यक्ति सहमत नहीं होगा। वास्तव में, एक दावा खारिज किया जा सकता है, लेकिन तुच्छ होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां तीन मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, वहां बहुमत और अल्पमत पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो संभावित या यहां तक कि प्रशंसनीय विचार भी हो सकते हैं जो

यह इंगित करता है कि दावा खारिज कर दिया गया है या गुण-दोष के आधार पर अनुमति दी गई है, इसलिए नहीं कि यह तुच्छ है। इसके अलावा, जहां कोई दावा उचित और सही पाया जाता है, वहां भी जमा की गई राशि को सफल दावेदार को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए एक अनुबंध की समाप्ति के आधार पर एक दावा लें जो अवैध और परिणामी है।

इससे नुकसान होता है। यदि दावा सफल हो जाता है और समाप्ति को अवैध होने के रूप में अलग कर दिया जाता है और एक करोड़ रुपये के हर्जाने के दावे को अंततः विद्वान मध्यस्थ द्वारा केवल दस

लाख पर प्रदान किया जाता है, तो जमा किए गए धन का केवल दसवां हिस्सा ही सफल पक्ष को वापस किया जा सकता है। वह पक्ष जो मध्यस्थता में हार गया है

कार्यवाही इस तथ्य के बावजूद की गई जमा राशि के नौ-दसवें हिस्से को ज़ब्त करने की हकदार होगी कि उपरोक्त पक्ष के खिलाफ एक पुरस्कार है। यह पूरे खंड को पूरी तरह से मनमाना बना देगा, क्योंकि

9 9 (1984) 3 एस. सी. सी. 316 एम/एस.

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

केवल अत्यधिक या असमान लेकिन एक पक्ष के पूरी तरह से अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाता है जिसने एक मध्यस्थता खो दी है जो जमा के ऐसे हिस्से को जब्त करने का हकदार है जो राशि से आनुपातिक रूप से कम है

जो दावा किया जाता है उसकी तुलना में पुरस्कृत किया जाता है।

42. इन सिद्धांतों की कसौटी पर, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या नीति के खंड 14 को स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है।

इस नीति में यह स्पष्ट किया गया था कि पानी की नियंत्रित आपूर्ति का लाभ आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली उत्पादन इकाइयों या बिजली घरों तक ही सीमित रहेगा।

इस तरह के नीतिगत बयान का कारण स्पष्ट रूप से यह होगा कि बांधों और जलाशयों के निर्माण और रखरखाव में राज्य द्वारा काफी मात्रा में अवसंरचना और विकास किया गया था और किया जाएगा और इस तरह के निवेश से वृद्धिशील लाभ या लाभ होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों के माध्यम से जनता के पास वापस जाना चाहिए। हालाँकि, यदि किसी निजी संस्था या एजेंसी को लाभ देने की अनुमति दी गई थी, तो नीति में ऐसे नियंत्रित उपकरणों के उपयोग के लिए शुल्क लगाने पर विचार किया गया था। पानी की आपूर्ति।

पॉलिसी में इस तरह की अवधि रखने में कुछ भी मनमाना या अनुचित नहीं है। चूँकि निजी संस्था या एजेंसी से लाभ होगा

और राज्य द्वारा लगाए गए पूंजी परिव्यय और बुनियादी ढांचे में से, इस तरह के लाभ के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ उचित शुल्क लगाए जाएंगे। ऐसी नीति के तहत ही सीयूएमआई और आई. एन. डी. एस. आई. एल. दोनों दिए गए थे। अपनी बिजली उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति और इस तरह की अवधि को उनके द्वारा जानबूझकर स्वीकार किया गया था।

यह निवेदन कि प्रासंगिक खंड स्पष्ट रूप से मनमाना होगा, इसलिए, स्वीकृति के योग्य नहीं है। 43. हालाँकि हमने इन दलीलों पर विचार किया है कि नीति का खंड 14 गुण-दोष के आधार पर अनुचित या मनमाना होगा, संदर्भ

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम में लिए गए कानून के निम्नलिखित विवरण पर भी ध्यान दिया जा सकता है और

एक अन्य बनाम डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक अन्य

" 15. किसी दल को "गर्म-ठंडा", "तेज और ढीला" या "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ कोई जानबूझकर किसी अनुबंध, या हस्तांतरण, या किसी आदेश के लाभों को स्वीकार करता है,

10 1 0 (2013) 5 एससीसी 470 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे अपने ऊपर इस तरह के अनुबंध, या हस्तांतरण, या आदेश की वैधता, या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से वंचित कर दिया जाता है।

44. आगे बढ़ते हुए, भले ही पॉलिसी में प्रासंगिक शब्द अनुचित या मनमाना नहीं पाया गया हो और पूरी तरह से अनुचित पाया गया हो।

न्यायसंगत, सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या उक्त शब्द को केवल सी. पी. पी. पर लागू करने में और आई. पी. पी. पर नहीं, सी. पी. पी. के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था।

गुणात्मक रूप से, सी. पी. पी. एस. और आई. पी. पी. में एक बुनियादी अंतर है। सी. पी. पी. एस. स्व-उपभोग के लिए बिजली का उत्पादन करता है। वर्तमान मामले में दोनों सीयूएमआई

और आई. एन. डी. एस. आई. एल. अपने कारखानों या औद्योगिक इकाइयों में खपत के लिए बिजली उत्पन्न करता है। उनके समझौतों की शर्तों के तहत, यदि कुछ भी है

उनकी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादित, अधिशेष या अतिरिक्त बिजली बोर्ड द्वारा स्वीकार की जाएगी। हालांकि, मुख्य उद्देश्य और अंतिम उपयोग स्व-उपभोग होगा। इसके विपरीत, आई. पी. पी. बिजली का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बोर्ड के उपयोग के लिए करते हैं। आई. पी. पी. एस. द्वारा उत्पन्न बिजली बोर्ड के ग्रिड का हिस्सा बन जाती है

बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाए जैसे कि बोर्ड की उत्पादन इकाइयों या बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली। अगर आरोपों के खिलाफ सी. पी. पी. और आई. पी. पी. एस. के लिए

पानी की नियंत्रित आपूर्ति समान रूप से लागू की जानी थी, इसका प्रभाव यह होगा कि आम उपभोक्ताओं और आम जनता को आई. पी. पी. के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली बिजली का अनिवार्य रूप से जल शुल्क के आनुपातिक तत्व के प्रति अतिरिक्त बोझ या भार होगा। इन परिस्थितियों में, यदि बोर्ड सभी आई. पी. पी. के मामले में नीति के खंड 14 को लागू नहीं करने का निर्णय लेता है, तो इस तरह के निर्णय को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जाएगा।

सामने लाया गया भेद या वर्गीकरण एक स्पष्ट तर्क पर आधारित था जिसका उद्देश्य अतिरिक्त बोझ को कम करना था। उपभोक्ता। चूँकि सी. पी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली की स्वयं खपत होगी, इसलिए आम उपभोक्ताओं पर कोई अंतिम या परिणामी बोझ डालने का कोई सवाल ही नहीं होगा। इस तरह के भेद या वर्गीकरण का आधार काफी सही था और इस तरह इस सवाल का सही जवाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. के खिलाफ दिया था। अप्राकृतिक या तर्कहीन होने के बजाय, वर्गीकरण का आम उपभोक्ताओं पर परिणामी बोझ को कम करने के उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट संबंध या संबंध था।

अतः यह निवेदन निरर्थक और अस्वीकृत है।

एम/एस। इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. केरल राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

45. यह हमें चुनौती देने वाली प्रस्तुतियों के अंतिम सेट पर ले जाता है

अनुपस्थिति या अधिकार क्षेत्र की कमी और कुछ सहायक मुद्दों के आधार पर पानी की नियंत्रित आपूर्ति पर रॉयल्टी या शुल्क का अधिरोपण। उस ओर से मामले पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पैराग्राफ 38,39 और 57 में विचार किया गया था जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। जैसा कि उचित रूप से देखा गया है, इस तरह के अधिरोपण का आधार या उत्पत्ति नीति का खंड 14 था, जो पक्षों के बीच सहमति के अनुसार संबंधित समझौतों में शामिल था।

46. अपीलार्थियों की ओर से निवेदन यह था कि राजघराने

या तत्काल मामले में पानी की नियंत्रित आपूर्ति के लिए शुल्क अनिवार्य कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं होगा और इस तरह के अधिरोपण के पीछे किसी भी वैधानिक मंजूरी के अभाव में, बोर्ड की ओर से कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना होगी। राज्य और बोर्ड की ओर से जवाबी निवेदन यह था कि इस तरह की रॉयल्टी या शुल्क की उत्पत्ति संबंधित अनुबंधों में थी और बोर्ड की ओर से की गई कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी।

47. कर और शुल्क के बीच का अंतर सामने लाया गया था

हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ निम्नानुसार है:

" पहला सवाल जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या विवादित अधिनियम द्वारा लगाया गया शुल्क संबंधित शुल्क के बराबर है

प्रविष्टि 23 को सूची II में प्रविष्टि 66 के साथ पढ़ा जाता है। इस प्रश्न से निपटने से पहले कर और शुल्क की अवधारणा के बीच के अंतर पर विचार करना आवश्यक है। साफ-सुथरी और संक्षिप्त परिभाषा

कर जो लैथम, सी. जे. द्वारा मैथ्यू बनाम में दिया गया है। चिकोरी मार्केटिंग बोर्ड 1 2 को अक्सर इस विषय पर एक क्लासिक के रूप में उद्धृत किया जाता है। लाथम, सी. जे. ने कहा, "कर कानून द्वारा प्रवर्तनीय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का अनिवार्य निष्पादन है, और प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है।" कर की आवश्यक विशेषताओं को सामने लाने में यह परिभाषा कर को शुल्क से अलग करने में भी सहायता करती है। यह सच है कि कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों धन का अनिवार्य निष्पादन हैं।

सार्वजनिक प्राधिकरण; लेकिन जबकि एक कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है

और बदले में प्रदान की गई सेवा के किसी भी विचार द्वारा समर्थित नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है, सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क लगाया जाता है।

11 (1961) 2 एससीआर 537

12 (1938) 60 सी. एल. आर. 263,276 [2021] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया गया और इस तरह के बीच क्विड प्रो क्वो का एक तत्व है

शुल्क का भुगतान करने वाला व्यक्ति और इसे लागू करने वाला सार्वजनिक प्राधिकरण। यदि विशिष्ट सेवाएँ किसी विशिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग या किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय को दी जाती हैं, और उक्त सेवाओं के लिए या उनके बदले में एक शर्त के रूप में दी जाती हैं।

सेवा और लेवी के बीच, या क्या लेवी या तो सेवा के साथ नहीं जुड़ी हुई है या इतनी अधिक सीमा तक लगाई गई है कि यह शुल्क का ढोंग है न कि वास्तव में शुल्क। दूसरे शब्दों में, किसी कानून द्वारा लगाया गया कोई विशेष उपकर शुल्क या कर के बराबर है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न होगा। हालांकि, कर और शुल्क के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है और इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीन सूचियों में कई प्रविष्टियाँ सशक्त बनाती हैं कर लगाने के लिए उपयुक्त विधान मंडल; लेकिन इस प्रकार प्रदत्त कर लगाने की शक्ति के अलावा प्रत्येक

सूची विशेष रूप से कर में शामिल किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने की शक्ति को संदर्भित करती है।

उक्त सूची में किसी भी न्यायालय में ली गई फीस को शामिल नहीं किया गया है।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

इस न्यायालय ने 1954 में तीन फैसलों में कर और शुल्क के बीच अंतर के सवाल पर विचार किया है। में।

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री

श्री शिरूर मठ के लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी 1 3 अधिकार

मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 (1951 का मद्रास अधिनियम 19) की जांच की गई। चुनौती दी गई धाराओं में धारा 76 (1) भी शामिल थी। इस धारा के तहत प्रत्येक धार्मिक संस्थान को सरकार को सालाना भुगतान करना पड़ता था।

उक्त सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसकी आय के 5 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं; और तर्क यह था कि इस प्रकार लिया गया योगदान शुल्क नहीं था, बल्कि एक कर था और इस तरह राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर था। इस तर्क से निपटने में, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने, जैसा कि उन्हें तब बताया गया था, मैथ्यूज 1 4 के मामले में लाथम, सी. जे. द्वारा दी गई कर की परिभाषा का हवाला दिया और कर और शुल्क के बीच के अंतर पर विस्तार से विचार किया। विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम की योजना की जांच की और कहा कि "वर्तमान मामले में शुल्क के सिद्धांत को नकारने वाला भौतिक तथ्य यह है कि योगदान के उद्ग्रहण द्वारा जुटाया गया धन सरकार को सेवाओं के प्रदर्शन में होने वाले खर्च को चुकाने के लिए निर्धारित या निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इन सभी

संग्रह राज्य की समेकित निधि में जाता है और सभी खर्चों को उन संग्रहों से नहीं बल्कि उनसे पूरा किया जाना चाहिए।

विनियोग की एक उचित विधि द्वारा सामान्य राजस्व जैसा कि अन्य सरकारी खर्चों के मामले में किया जाता है। विद्वान न्यायाधीश ने निस्संदेह कहा कि उक्त परिस्थिति निर्णायक नहीं थी और इंगित किया कि वास्तव में सरकार द्वारा किए गए खर्च और योगदान द्वारा जुटाई गई राशि के बीच किसी भी सह-संबंध का पूर्ण अभाव था। इसलिए धारा 76 (1) को निरस्त कर दिया गया था।

अल्ट्रा वायर्स के रूप में।

उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष वही मुद्दा उठा, जैसा कि 1952 के अधिनियम 2 में संशोधन करके संशोधित किया गया था। राज्य उड़ीसा का 1 5. मुखर्जी, जे., जिन्होंने फिर से न्यायालय की ओर से बात की, ने धारा 49 की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें भुगतान करने का दायित्व लगाया गया था।

प्रत्येक मठ या मंदिर पर निर्दिष्ट योगदान जिसका वार्षिक योगदान होता है।

राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए 250 रुपये से अधिक की आय

4) एस. सी. आर. 1005

58) 60 सी. एल. आर. 263

54) एस. सी. आर. 1046 [2021] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार। विवादित अधिनियम की योजना की जांच की गई थी और यह देखा गया कि इसके तहत किए गए संग्रह का विलय नहीं किया गया है

सामान्य सार्वजनिक राजस्व में और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए खर्चों के विनियोग के लिए निर्धारित तरीके से विनियोजित नहीं किए जाते हैं।

वे एक निधि का गठन करते हैं जो अधिनियम की धारा 50 द्वारा विचारित है, और यह निधि जिसमें प्रांतीय सरकार ऋण और अनुदान दोनों के माध्यम से योगदान करती है, विशेष रूप से अलग रखी गई है।

अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में शामिल सेवाओं को प्रदान करने के लिए। 12. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का अधिनियम 29) की धारा 58 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसने रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम में इसी तरह के उद्देश्य के लिए समान योगदान लगाया था। बम्बई राज्य 1 6. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि किसी भी विवादित शुल्क के स्वरूप को निर्धारित करने में जिन परीक्षणों को लागू किया जाना है, वे इस न्यायालय द्वारा इन तीन निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं; और इन परीक्षणों के आलोक में ही हमें वर्तमान याचिका में हमारे सामने उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर विचार करना होगा। ” 48. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

और इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य में कुछ टिप्पणियों की व्याख्या की।

निम्नलिखित रूप में वर्णित है:

" 59. सबसे पहले हम अदालतों में अक्सर उद्धृत कुछ शब्दकोशों का उल्लेख करेंगे।

कानून के बारे में:

शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण। (खण्ड. 37 - ए, पी। 597) :

" ' रॉयल्टी 'उस उपज का हिस्सा है जो मालिक के लिए किसी अन्य को संपत्ति का दोहन और उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आरक्षित है। 'रॉयल्टी' शब्द का अर्थ है भूमि पर कब्जा करने वाले द्वारा मकान मालिक को उनके बीच अनुबंध द्वारा अनुमत व्यवसाय की प्रजातियों के लिए भुगतान किया गया मुआवजा। रॉयल्टी 'उत्पाद या लाभ (खान, वन आदि के रूप में) का एक हिस्सा है जो मालिक द्वारा दूसरे को अनुमति देने के लिए आरक्षित किया जाता है। अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए।

स्ट्राउड का शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश (6 वां संस्करण, 2000, खंड। 3, पृ. 2341):

16 (1954) एस. सी. आर. 1055 17 (2004) 10 एस. सी. सी. 201 (1990) 1 एस. सी. सी. 12 इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v.

टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

" खनन पट्टों में 'रॉयल्टी' शब्द का अर्थ है, लालकट्टे का वह हिस्सा जो परिवर्तनशील है, और पेटेंट के अनुसार बनाई गई प्रत्येक वस्तु पर प्राप्त खनिजों की मात्रा या पेटेंटी को सहमत भुगतान पर निर्भर करता है। अधिकार या विशेषाधिकार जिनके लिए रॉयल्टी के रूप में पारिश्रमिक देय है।

शब्द और वाक्यांश, कानूनी रूप से परिभाषित (तीसरा संस्करण। , 1990 , खण्ड. 4 , पी।

112) :

" रॉयल्टी, उस अर्थ में जिसमें शब्द का उपयोग खनन पट्टों के संबंध में किया जाता है, पट्टेदार को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम किए गए नष्ट किए गए खनिज की राशि के अनुपात में भुगतान है।

अवधि "।

व्हार्टन लॉ लेक्सिकन (14 वां संस्करण, पृ. 893):

" रॉयल्टी। - एक पेटेंटी को उसके पेटेंट के अनुसार बनाई गई प्रत्येक वस्तु पर समझौते द्वारा भुगतान; या एक प्रकाशक द्वारा एक लेखक को उसकी बेची गई पुस्तक की प्रत्येक प्रति पर; या खनिजों के मालिक को प्रत्येक टन या उठाए गए अन्य वजन पर काम करने के अधिकार के लिए।

मोज़ले एंड व्हाइटलीज़ लॉ डिक्शनरी (11 वां संस्करण, 1993, पी। 243):

" के कार्यकरण पर अनुदानकर्ता या पट्टेदार को आनुपातिक भुगतान

पट्टे पर दी गई संपत्ति, या अन्यथा अनुदान या पट्टे के लाभ पर। इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से खानों, पेटेंट के संदर्भ में किया जाता है।

और कॉपीराइट "।

प्रेम का न्यायिक शब्दकोश (1992, खंड। 2, पृ. 1458):

" रॉयल्टी वे भुगतान हैं जिनकी सरकार मांग कर सकती है। सरकार की खनिजों, लकड़ी या अन्य संपत्ति के विनियोग के लिए। रॉयल्टी की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हैं, कि वस्तुओं को हटाने के विशेषाधिकार के लिए किया गया भुगतान हटाई गई मात्रा के अनुपात में है, और भुगतान का आधार एक समझौता है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण, पृ. 1330):

" रॉयल्टी। — उत्पाद का एक हिस्सा या वास्तविक संपत्ति से लाभ, जो एक खनिज पट्टे के अनुदानकर्ता द्वारा आरक्षित है, के बदले में

भूमि पर खनन या ड्रिल करने का पट्टाधारक का अधिकार।

खनिज रॉयल्टी। खनिज से आय के हिस्से का अधिकार

"[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

60. डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य 1 9 इस न्यायालय के अर्जित न्यायाधीशों की एक पीठ ने "किराया", "रॉयल्टी" और "मृत" मामलों पर विचार किया।

और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: (एससीसी पीपी। 53-54 , पैरा 38-39)

" 38. किराया पट्टे की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। यह मृत्यु के लिए पट्टेदार से पट्टेदार की ओर जाने का विचार है।

उसके लिए संपत्ति।

39. एक खनन पट्टे में विचार आमतौर पर से स्थानांतरित होता है

पट्टेदार के लिए पट्टेदार पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का किराया (जिसे अक्सर सतह किराया कहा जाता है), मृत किराया और रॉयल्टी है। चूँकि खनन पट्टा पट्टेदार को न केवल एक सामान्य पट्टे के तहत

संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि भूमि से खनिज निकालने का भी अधिकार प्रदान करता है।

उन्हें अपने उपयोग या लाभ के लिए उपयुक्त बनाना, इसके अलावा

कम किए गए क्षेत्र के लिए सामान्य किराया, पट्टेदार को भुगतान करने की आवश्यकता होती है

निकाले गए खनिजों के संबंध में निश्चित राशि आनुपातिक

इस प्रकार निकाली गई मात्रा तक। इस तरह के भुगतान को 'रॉयल्टी' कहा जाता है। हालाँकि, यह हो सकता है कि खदान का काम ठीक से न किया गया हो ताकि पट्टेदार को रॉयल्टी के रूप में पर्याप्त लाभ न मिले। पट्टेदार के लिए एक नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए, चाहे खदान में काम किया गया हो या नहीं, पट्टेदार द्वारा उसे भुगतान करने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। इसे 'मृत किराया' कहा जाता है। 'डेड रेंट' की गणना पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर की जाती है जबकि रॉयल्टी की गणना इस आधार पर की जाती है कि

निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा। इस प्रकार, जबकि मृत किराया पट्टेदार को एक निश्चित वापसी है, रॉयल्टी एक वापसी है जो अलग-अलग होती है।

निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा। मृत किराए के बाद से

और रॉयल्टी दोनों पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के संबंध में पट्टेदार को एक वापसी है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत किराया हो सकता है देय रॉयल्टी की न्यूनतम गारंटीकृत राशि के रूप में वर्णित

पट्टेदार को लेकिन पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर गणना की गई और नहीं

निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा पर।

एच. आर. एस मूर्ति बनाम चित्तूर 20 के कलेक्टर ने भी संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने रॉयल्टी को "भुगतान" के रूप में परिभाषित किया था।

61. उच्च न्यायालयों के बीच प्रचलित न्यायिक राय देखा जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने

86) पूरक एस. सी. सी. 20

1965 एससी 177:

(1964) 6 एस. सी. आर. 666 इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बनाम। उड़ीसा राज्य 2 1: (एयर पी। 224, पैरा 12) "[आर] आयल्टी खनिजों के लिए किया गया भुगतान है। निकाला गया। यह कर नहीं है। सूरजदीन लक्ष्मणलाल बनाम। एम. पी. राज्य, नागपुर 22 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

व्हार्टन के लॉ लेक्सिकन और मोज़ले और व्हाइटली को संदर्भित किया गया

लॉ डिक्शनरी एंड सेड (ए. आई. आर. पी. 130, पैरा 7) "रॉयल्टी वे भुगतान हैं जिनकी सरकार सरकार से संबंधित खनिजों, लकड़ी या अन्य संपत्ति के विनियोग के लिए मांग कर सकती है।" उच्च न्यायालय ने राय दी कि इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं - रॉयल्टी: (i) भुगतान हटाई गई मात्रा के अनुपात में है;

और (ii) भुगतान का आधार एक समझौता है।

.....

Ltd.24 जो कहता है (SCC रिपोर्ट के पैरा 12 के माध्यम से) कि इंडिया सीमेंट 23 में कोई "टंकण संबंधी त्रुटि" नहीं थी और यह कि उक्त यह निष्कर्ष निकालते हुए कि रॉयल्टी एक ऐसा कर है जो तार्किक रूप से पहले से लिया गया है

फैसले के पैराग्राफ "।

49. हिमाचल प्रदेश और अन्य बनाम गुजरात राज्य में

जे. ए. सीमेंट लिमिटेड और अन्य 25, इसके तीन न्यायाधीशों की एक पीठ

टी ने देखा:

1983 ओरि 210 (1983) 55 कट एल. टी. 364 (एफ. बी.)

1960 एमपी 129: 1960 एमपीएलजे 39

5 पूरक (1) एस. सी. सी. 642

05) 6 एससीसी

499 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 44. " रॉयल्टी "एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका उपयोग कानूनी भाषा में बेचे गए माल की कीमत के लिए किया जाता है। यह एक पेटेंट, खदान के पट्टे या इसी तरह के अधिकार के अनुदानकर्ता द्वारा

आरक्षित भुगतान है, और अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए अधिकार के उपयोग के अनुपात में देय है जैसा कि टीटाघुर में आयोजित किया गया है।

45. कानूनी दुनिया में अपने प्राथमिक और प्राकृतिक अर्थों में "रॉयल्टी" को "जुरा रेगेलिया" या "जुरा रेगिया" के समकक्ष या अनुवाद के रूप में जाना जाता है। इसके तहत एक संप्रभु के शाही अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं। अपने द्वितीयक अर्थों में, "रॉयल्टी" शब्द, खनन पट्टों की तरह, लाल धन के उस हिस्से को दर्शाता है, जो परिवर्तनीय है, हालांकि, प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए नकद या वस्तु में देय है। (इंद्रजीत सिंह सियाल बनाम देखें। करम चंद थापर 2 7.) 46. " रॉयल्टी "कोई कर नहीं है। सिर्फ इसलिए कि रॉयल्टी उत्पादित खनिजों की मात्रा के संदर्भ में लगाई जाती है और विवादित उपकर भी उत्पादित खनिज की समान मात्रा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, बाद वाला रॉयल्टी नहीं बन जाता है। पहला उस भूमि का किराया है जिस पर खदान स्थित है या खनन पट्टेदार के पक्ष में सरकार द्वारा विभाजित भूमि से खनिज प्राप्त करने के विशेषाधिकार का मूल्य है। उपकर भूमि पर प्रभाव के साथ खनिज अधिकारों पर एक शुल्क है और उत्पादित खनिज की मात्रा के संदर्भ में इसकी मात्रा निर्धारित की जाती है। भेद भले ही ठीक है, फिर भी मौजूद है और बोधगम्य है। (डब्ल्यू. बी. वी. की स्थिति देखें।

केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 16)।

50. कर की आवश्यक विशेषताओं पर, बानुमति, जे. ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और नोथर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 28 में सहमति वाली राय में निम्नलिखित टिप्पणियों का सार निकाला है:

" 334. कर की आवश्यक विशेषताएँ यह हैं कि: ((i) यह लागू किया जाता है

करदाता की सहमति के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत और भुगतान कानून द्वारा लागू किया जाता है; (ii) यह कर दाता को प्रदान किए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया गया एक अधिरोपण है; और (iii) यह सामान्य बोझ का हिस्सा है। कॉम में। , हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती v. श्री लक्ष्मींद्र

श्री शिरूर मठ के तीर्थ स्वामी ", संविधान पीठ

एक कर की विशेषताओं को निर्धारित किया गया है जिसका तब से लगातार पालन किया जा रहा है और यह निम्नानुसार है: (एयर पी। 284, पैरा 43)

1985 एसपीपी एससीसी 280: 1985 एस. सी. सी. (कर) 538

(1995) 6 एससीसी 166(2017) 12 एस. सी. सी. 1 एम/एस.

" 43. ..... " '.' कानून द्वारा प्रवर्तनीय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का अनिवार्य निष्पादन है और

"प्रदान की गई सेवाओं के लिए" भुगतान नहीं। यह परिभाषा, सभी राय में, आवश्यक को सामने लाती है

किसी कर की विशेषताएँ जो अधिरोपण के अन्य रूपों से अलग हैं, जो सामान्य अर्थों में इसके भीतर शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि कराधान का सार मजबूरी है, अर्थात करदाता के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है

सहमति और भुगतान कानून द्वारा लागू किया जाता है। कर की दूसरी विशेषता यह है कि यह कर दाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। यह कहते हुए व्यक्त किया जाता है कि कर का उद्ग्रहण सामान्य राजस्व के उद्देश्यों के लिए होता है, जो जब एकत्र किया जाता है तो राज्य के सार्वजनिक राजस्व का हिस्सा होता है। जैसा कि कर का उद्देश्य है, किसी को कोई विशेष लाभ प्रदान करना नहीं है।

" करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच पारस्परिक लाभ। कराधान की एक अन्य विशेषता यह है कि यह आम कर प्रणाली का एक हिस्सा है। बोझ, करदाता पर अधिरोपण की मात्रा आम तौर पर भुगतान करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

" 9

51. यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य 29, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत निर्धारित "रॉयल्टी" से संबंधित कुछ प्रश्न अब नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजे गए हैं, जिसका संदर्भ अभी भी विचाराधीन है। लेकिन इनमें से कोई भी मुद्दा वर्तमान मामले में नहीं है।

52. एक अनुबंध में "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति के उपयोग पर, हम इंद्रजीत सिंह सियाल और एक अन्य बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैं।

करम चंद थापर और अन्य 27:

" 12. .... इस प्रकार, विलेख में 'रॉयल्टी' शब्द का उपयोग एक ढीले अर्थ में किया गया था ताकि उस अवधि के लिए समनुदेशक को आवधिक भुगतान करने के लिए दायित्व व्यक्त किया जा सके जिसके दौरान पट्टा बना रहेगा; मात्रा में प्राप्त और निकाले गए कोयले या प्रेषण पर निर्भर भुगतान। इसलिए हमें दस्तावेज़ Ex का अर्थ निकालना होगा। डी-5

अपनी शर्तों पर और मुश्किल से दिए गए लेबल या विवरण पर नहीं

29 (2011) 4 एससीसी 450 [2021] 13 एस. सी. आर.

निर्धारित भुगतान। संभवतः इस व्यवस्था को किसी अन्य शब्द का उपयोग करके एक आकार दिया जा सकता था। 'रॉयल्टी' शब्द शायद लेखकों के लिए अधिक उपयोगी था।

इस तरह की व्यवस्था, ताकि आवधिक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नहीं में। क्या पार्टियों को 'रॉयल्टी' शब्द का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जैसे कि वे राज्य के शाही या संप्रभु अधिकार का अहंकार करते हैं और फिर बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को अनावश्यक बना देते हैं।

कर्म से।

13. वस्तु अपने मूल्य से चलती है, न कि उस आवरण से जिसमें उसे पैक किया जाता है। एक आदमी अपने मूल्य के लिए जाना जाता है, न कि अपने कपड़ों के लिए जो वह पहनता है। भिखारी द्वारा पहने जाने वाले शाही वस्त्र उसे राजा नहीं बनाते थे। दस्तावेज़ को इसकी सामग्री से तौला जाता है, न कि शीर्षक से। किसी को मूल्य पर जाने की जरूरत है, चमक पर नहीं। फिर भी, हम दस्तावेजों में उपयोग किए जाने वाले सही शब्दों के महत्व को कम नहीं करना चाहते हैं। हमारा व्यक्त करने का मतलब यह है कि यदि विचार स्पष्ट है, तो शब्दों में इसका अनुवाद, बोले गए या लिखित, अक्सर दोषपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से ऐसी भाषा में जो मातृभाषा नहीं है। वे त्रुटिपूर्ण शब्द विचार को बदलने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर और सार में जब अनुबंध करने वाले पक्षों और मसौदा तैयार करने वाले को यह माना जाता है कि 'रॉयल्टी' शब्द का उपयोग राज्य के लिए कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है, जो राज्य बताता है, तो उस शब्द का उपयोग निजी गारंटी के लिए करने का उद्देश्य समनुदेशक को संप्रभु या राज्य का दर्जा प्रदान करना नहीं था, और उस आधार पर दस्तावेज होता है।

बंद कर दिया। .... “ .

53. हम भारत संघ और अन्य मोशन पिक्चर एसोसिएशन और अन्य 3 0 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की निर्णय पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जहां

पार्टियों के बीच एक अनुबंध की शर्तों के तहत।

" 31. प्रदर्शकों का यह भी तर्क है कि शुद्ध वसूली पर एक प्रतिशत का शुल्क कर के रूप में एक अनिवार्य शुल्क है। न तो अधिनियम और न ही लाइसेंस के प्रावधान इस तरह के किसी भी कर के भुगतान को निर्धारित करते हैं। अतः इस राशि का अधिरोपण संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन। यह सच है कि न तो प्रासंगिक अधिनियम और न ही अधिसूचना और न ही नियम और न ही लाइसेंस के नियम और शर्तें किसी भी किराए के भुगतान को निर्धारित करती हैं।

99) 6 एस. सी. सी. 150 इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड v. टी ऑफ केराला और अन्य [उदय उमेश ललित, जे।]

इस राशि का भुगतान एक समझौते के तहत किया जाना आवश्यक है जिसे प्रदर्शक व्यक्तिगत रूप से फिल्म प्रभाग के साथ करते हैं। इन फिल्मों की आपूर्ति। यह दोनों पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों के तहत भुगतान है। इसलिए इसे कर के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। प्रदर्शकों का तर्क है कि क्योंकि वे आवश्यक हैं

इन समझौतों में प्रवेश करने पर, समझौते के तहत कोई भी भुगतान एक अनिवार्य कार्रवाई है और इसलिए, कर है। हम सहमत नहीं हैं। समझौते की शर्तों के तहत, फिल्म प्रभाग को निर्दिष्ट अंतराल पर थिएटर मालिकों को कुछ प्रिंटों की आपूर्ति करनी होती है। फिल्म प्रभाग को इस उद्देश्य के लिए एक वितरण नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता है। इन फिल्मों को पैक करना आवश्यक है और इसकी अनुमति देना आवश्यक है। प्रदर्शक इन फिल्मों को एक निश्चित अवधि के लिए अपने कब्जे में रखेंगे। इसके बाद फिल्मों को फिल्म प्रभाग को वापस किया जाना है। समझौते में इस शुल्क को फिल्मों के लिए किराया कहा गया है। इसमें वितरण के लिए फिल्मों के प्रिंट तैयार करने और वितरण के लिए उन्हें पैक करने का शुल्क शामिल है। ये स्पष्ट रूप से सेवाएँ हैं।

फिल्म प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके लिए इसे किराये के रूप में शुद्ध संग्रह का एक प्रतिशत भुगतान किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रिंट तैयार करने, उन्हें पैक करने और वितरित करने की कुल लागत फिल्म प्रभाग द्वारा की गई कुल वसूली की तुलना में बहुत अधिक है।

सभी प्रदर्शकों से किराया। प्रदान की जाने वाली सेवाओं और किए जाने वाले भुगतान के बीच एक स्पष्ट संबंध है। भुगतान,

इसलिए, यह एक कर के बजाय एक शुल्क की प्रकृति में है, हालांकि इसका कोई सटीक लाभ नहीं हो सकता है। फिर भी क्विड प्रो क्वो का तत्व बहुत अधिक मौजूद है।

32. प्रदर्शकों ने कई मामलों पर भरोसा किया जो कर को शुल्क से अलग करते हैं। हम उनमें से कुछ का ही उल्लेख करेंगे। जोवाई स्वायत्त जिले की जिला परिषद के मामले में। वी. ड्वेट

सिंह रिबाई 3 1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक अनिवार्य निष्कासन एक कर के बराबर होगा जबकि प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान एक शुल्क के बराबर होगा। उस मामले के तथ्यों पर, अदालत ने कहा कि क्विड प्रो क्वो का कोई तत्व नहीं था जो शुल्क के रूप में रॉयल्टी के अधिरोपण को उचित ठहराए। कॉम में। , एच. आर. ई. वी. श्री

श्री शिरूर मठ के लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी 1 3 यह दरबार

1954 में कर और शुल्क के बीच अंतर निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने एक कर को एक अनिवार्य अधिरोपण के रूप में वर्णित किया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जिन्हें करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं है;

जबकि शुल्क कुछ के लिए विशिष्ट सेवा के लिए एक शुल्क है, और इसका सेवा के लिए किए गए खर्चों से कुछ संबंध होना चाहिए। में।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम। शरद कुमार

जयंतीकुमार पासावाला 3 2 इस न्यायालय ने कहा है कि शुल्क लगाने के लिए एक स्पष्ट प्राधिकरण आवश्यक है। वर्तमान में

हालाँकि, किराया फिल्म प्रभाग और व्यक्ति के बीच एक समझौते के आधार पर फिल्म प्रभाग द्वारा लिया जाता है।

प्रदर्शक। यह फिल्म प्रभाग द्वारा प्रदर्शक को फिल्मों की आपूर्ति करने, फिल्म को पैक करने और इसकी डिलीवरी की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से सेवाओं को प्रदान करने के लिए लिया जाने वाला एक सहमत शुल्क है। यह.

इसे अनिवार्य अधिभार या कर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। एक वैधानिक दायित्व है जो प्रदर्शकों पर प्रदर्शित करने के लिए डाला जाता है।

कुछ फिल्में। इस वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए, यदि प्रदर्शक फिल्म प्रभाग के साथ एक समझौता करते हैं और वैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए फिल्म प्रभाग से फिल्मों की खरीद के लिए किराए की एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, तो शुल्क को निम्नानुसार होना चाहिए:

चूंकि यह अनुबंध के तहत कुछ दायित्वों का निर्वहन करने वाले फिल्म प्रभाग के साथ सहसंबद्ध है, इसलिए इसे उच्चतम शुल्क के रूप में देखा जाना चाहिए न कि कर के रूप में। यह एक सहमत भुगतान है, और अनुचित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने इस तर्क को सही ही नकार दिया है कि

उत्तरदाता प्रदर्शक "।

54. इस प्रकार, 'रॉयल्टी' अभिव्यक्ति को लगातार अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए भुगतान किए गए मुआवजे के रूप में माना गया है।

और आम तौर पर इसकी उत्पत्ति अनुदानकर्ता और अनुदान प्राप्तकर्ता के बीच हुए समझौते में होती है। जहां तक कर का संबंध है जो कर के दाता को प्रदान किए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है, रॉयल्टी पक्षों के बीच समझौते के संदर्भ में होगी और आम तौर पर अनुदान प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा संबंध होगा।

नाम चाहे जो भी हो, वर्तमान मामलों में पानी के नियंत्रित छोड़े जाने के उपयोग के लिए शुल्क उनके द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार के लिए था।

इंडसिल और सी. यू. एम. आई. मोशन पिक्चर एसोसिएशन 3 1 के मामले की तरह, इस तरह के आरोपों का आधार सीधे तौर पर पक्षों के बीच की गई व्यवस्था के संदर्भ में था, हालांकि, किसी भी वैधानिक साधन के लिए संदर्भित नहीं था। आई. एन. डी. एस. आई. एल. और सी. यू. एम. आई. को उपलब्ध कराए गए पानी के नियंत्रित प्रवाह ने हमेशा उन्हें बिजली उत्पादन में मदद करने में एक लंबा सफर तय किया है। इस तरह के लाभ या विशेषाधिकार के लिए

32 (1992) 3 एससीसी 285: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2038 एम/एस.

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड स्टेट ऑफ केराला एंड अदर [उदय उमेश ललित,

55. यह निवेदन कि यह अनिवार्य अधिभार था और किसी कर की विशेषताओं को मान लेना पूरी तरह से गलत था असमर्थनीय। यह पक्षकारों के बीच एक शुद्ध और सरल संविदात्मक संबंध था और सी. यू. एम. आई. और आई. एन. डी. एस. आई. एल. द्वारा दी गई प्रस्तुति को अस्वीकार करने में खंड पीठ सही थी।

56. इस प्रकार, सी. यू. एम. आई. आई. एन. डी. एस. आई. एल. की ओर से दिए गए सभी निवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसलिए, तत्काल अपीलों को लागत के संबंध में किसी भी आदेश के साथ खारिज कर दिया जाता है।

निराशा की

अपील

निधि जैन